"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 543] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 अगस्त 2019 — भाद्रपद 7, शक 1941

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 20 अगस्त 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-2/2019/38-2. — छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पत्र क्र. 1016/प्र.परि./प्र.अध्या./देवसंस्कृति वि.वि./2018/10296, दिनांक 30–07–2019 द्वारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ग्राम–सांकरा, कुम्हारी, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) के प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 26 एवं प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 39 तक का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26 (5) एवं धारा 28 (4) के तहत् किया गया है।

2. राज्य शासन, एतद् द्वारा, उपरोक्त परिनियमों एवं अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपरोक्त परिनियम एवं अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु जी पिल्ले, प्रमुख सचिव.

देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम–2018

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 26 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर, शासी निकाय निम्नलिखित प्रथम संविधान बनाती है।

(I) लघु शीर्षक व शुरूआत

(1) इन परिनियमो को देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम –2018 कहा जाएगा।

(2) इसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू समझा जाएगा।

(II) परिभाषाएं

इन विधियों में, जब तक संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो :

1. "अधिनियम" का अर्थ छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम –2005 है।
2. "आयोग" का अर्थ छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियम आयोग से है।
3. सभी शब्द और भाव के साथ इस्तेमाल किया है और अधिनियम में परिभाषित और नियम का अर्थ क्रमशः अधिनियम और नियमों से है।
4. "शैक्षणिक वर्ष" का अर्थ है संबंधित योजनाओ के पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट आवश्यकताओ के अनुसार बारह महीने की अवधि और अध्यादेश में निर्धारित शर्ते।
5. "अध्ययन मंडल" का अर्थ विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न विषयों के अध्ययन मंडल से है।
6. "कन्वोकेशन" का अर्थ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह से है।
7. "पाठ्यक्रम" का अर्थ अध्ययन या अकादमिक कार्यक्रम (ओं) और/या किसी भी अन्य घटक(ओं) का कोर्स है जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय होने वाले डिग्री डिप्लोमा या प्रमाण पत्र से है।
8. "कर्मचारी" का अर्थ विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी शिक्षकों और अन्य कर्मचारी से है।
9. "संकाय" का अर्थ विश्वविद्यालय के संकाय से है।
10. "नियमित शिक्षा" का अर्थ नियमित रूप से विश्वविद्यालय परिसर की कक्षा में छात्रों को शिक्षित करने (शिक्षण, सीखने आदि) की एक प्रणाली है, जिसके लिए व्याख्यान और व्यावहारिक कालखण्डो मे नियमित आधार पर 75 प्रतिशत की उपस्थिति की आवश्यकता होती है।
11. "विनियम" का अर्थ निजी विश्वविद्यालय के विनियम से है।
12. "नियम" का अर्थ "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम –2005 से है।
13. "योजना और पाठ्यक्रम" का अर्थ है प्रकृति, अवधि, अध्यापन, पाठ्यक्रम, पात्रता और इस तरह के अन्य संबंधित विवरण (जिस किसी नाम से यह संबोधित है) विश्वविद्यालय के संबंधित पाठ्यक्रम(ओं) के लिए भी शामिल है।
14. "सील" का अर्थ विश्वविद्यालय की आम मुहर से है।
15. "विषय" का अर्थ शिक्षण, प्रशिक्षण शिक्षा, पाठ्यक्रम की योजना के तहत निर्धारित अनुसंधान की बुनियादी इकाई जो शैक्षणिक योजना, कार्यक्रम में निर्धारित किया गया है।
16. "वह" "उसे" और "उसके" स्त्रीलिंग भी शामिल हैं।
17. "विश्वविद्यालय" का अर्थ "देव संस्कृति विश्वविद्यालय से है।

(III) नीचे उल्लेखित विषयों पर प्रथम परिनियम निम्नानुसार हैः–

विषय सूचीः–

परिनियम	शीर्षक	पृष्ठ
परिनियम क्र. 01	विश्वविद्यालय के उद्देश्य	03
परिनियम क्र. 02	विश्वविद्यालयों की सील और प्रतीक	04
परिनियम क्र. 03	कुलाधिपति की नियुक्ति, नियम और शर्तें तथा शक्तियां	05
परिनियम क्र. 04	कुलपति की नियुक्ति, नियम और शर्तें तथा शक्तियां	06
परिनियम क्र. 05	कुलसचिव की नियुक्ति, नियम और शर्तें तथा शक्तियां	08

परिनियम क्र. 06	मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी की नियुक्ति, नियम और शर्तें तथा शक्तियां	11
परिनियम क्र. 07	शासी निकाय की शक्तियां और कार्य	13
परिनियम क्र. 08	प्रबंधन मंडल की शक्तियां और कार्य	14
परिनियम क्र. 09	अकादमिक परिषद संरचना, शक्तियां और कार्य	15
परिनियम क्र. 10	वित्त समिति की शक्तियां और कार्य	17
परिनियम क्र. 11	विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी	18
परिनियम क्र. 12	संकाय	23
परिनियम क्र. 13	संकायों का गठन ,शक्तियॉ व कार्य	24
परिनियम क्र. 14	संकाय अधिष्ठाता की शक्तियां और कार्य	25
परिनियम क्र. 15	विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्तियां	26
परिनियम क्र. 16	गैर शैक्षणिक स्टाफ के वर्ग	28
परिनियम क्र. 17	शासी निकाय की स्थाई समिति/प्रबंध मंडल /अकादमी परिषद	30
परिनियम क्र. 18	मंडल और समितियां	31
परिनियम क्र. 19	परीक्षा समिति	32
परिनियम क्र. 20	अध्ययन मंडल	34
परिनियम क्र. 21	छात्रों से शुल्क लेने संबंधी प्रावधान	35
परिनियम क्र. 22	मानद उपाधियों एवं शैक्षणिक अलंकरणों प्रदान करना	36
परिनियम क्र. 23	फेलोशिप ,छात्रवृत्ति मेडल तथा पुरस्कार के लिए फंड का प्रशासन	37
परिनियम क्र. 24	आरक्षण नीति	38
परिनियम क्र. 25	विविध पाठ्यक्रमों / विषयों में सीट की संख्या	39

परिनियम 01
विश्वविद्यालय के उद्देश्य

विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य निम्नानुसार है :–

(1) देव संस्कृति विश्वविद्यालय का उद्देश्य भारतीय संस्कृति के सभी बुनियादी तत्वों के शिक्षण, व्यापक अध्ययन और भारतीय संस्कृति के आधार पर अनुसंधान करना हैं। इसके आदर्श वाक्य ''वसुधैव कुटुंबकम''(विश्व परिवार) के अनुसार जाति , नस्ल , समुदाय , लिंग व धर्म के संबंध में बिना किसी भेदभाव के समग्र विश्व को एक कुटुम्ब मानते हुए उसके कल्याण हेतु कार्य करना।''

दिव्य (भारत) संस्कृति (देव संस्कृति) का वास्तविक अर्थ साहसिक, मूल्यों/परंपराओं/स्थापित प्रयोगों और अनुभवी क्षेत्रों, संतों और आध्यात्मिक भूमि भारत के विचारकों द्वारा किए गए अनुभवों पर आधारित है। यदि इन्हें जीवन में अपनाया जाता है, तो कोई भी आसानी से अपने जीवन में देवत्व और सफलता को विकसित कर सकता है।

देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मुख्य तथ्य, उद्देश्य निम्ननुसार हैं:

(i) **साधना**
पूजा के माध्यम अलग–अलग हो सकते हैं लेकिन साधना जीवन का इतना संतुलित अभ्यास है, जिसमें आदर्शवादी प्रवृत्तियों के विकास से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं, जो मानव चेतना को बढ़ावा देते हैं। इस तरह की साधना विश्वविवद्यालय में कराई जायेगी।

(ii) **स्वास्थ्य**
सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए और आयुर्वेद और चिकित्सा के अन्य वैकल्पिक प्रणालियों में आंतरिक वैज्ञानिक अनुसंधान तथा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ जीवन के लिए व्यवस्था करना।

(iii) **शिक्षा**
वास्तविक अर्थ में प्रशिक्षण के लिए दार्शनिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक (विशेष रूप से नैतिक) पाठ्यक्रम, के लिए मूल्य आधारित शिक्षा के साथ जीने की कला और व्यक्तित्व के उत्थान के लिए सभी को जोड़ना।

(iv) आत्म चिंतन "बहुजन हिताय बहुजन सुखाय" अर्थात् सभी के हित व सभी के कल्याण के सिध्दांत पर युवाओं में विश्वास जागृत कर, आत्मनिर्भर ,संतुष्ट और पर्यावरण के अनुकूल बनाने हेतु पाठ्यक्रम बनाया जाएगा और लागू किया जाएगा।

(2) उच्च शिक्षा के अर्न्तगत निर्देश, शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करना और ज्ञान, अनुसंधान प्रसार का प्रावधान करना इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थान, उद्योग, सरकार और गैर सरकारी संगठन के साथ सहयोग करेगा।

(3) बौद्धिक क्षमताओं के उच्च स्तर का निमार्ण करना।

(4) शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए कला की सुविधाओं की स्थिति को स्थापित करना।

(5) शिक्षण और अनुसंधान करने और सतत शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करना।

(6) अनुसंधान और विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाने और ज्ञान और उसके प्रयोग को साझा करनां

(7) उद्योग और सार्वजनिक संगठनों को परामर्श प्रदान करना।

(8) यूजीसी, एआईसीटीई, बीसीआई, एमसीआई, डीईसी, या किसी अन्य नियामक निकाय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य अकादमिक अलंकरणों के मानक को बनाए रखना।

(9) समय–समय पर नियामक आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित किसी भी अन्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने का प्रयास।

परिनियम -02
विश्वविद्यालय की सील और प्रतीक

1. विश्वविद्यालय में उपयोग की जाने वाली एक आम मोहर होगी और सील की डीजाईन का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर आवश्यक परिवर्तन/संसोधन करने विचार किये जाने पर सीजीपीयूआरसी के अनुमोदन पश्चात् किया जा सकेगा।

2. विश्वविद्यालय समय–समय पर आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे उद्देश्यों के लिए ऐसे ध्वज, गान, बिल्ला, वाहन ध्वज और अन्य प्रतीकात्मक चित्रात्मक अभिव्यक्तियों, संक्षेपों या इसी तरह के प्रतीकों का निमार्ण व उपयोग कर सकता है ,जो ऐसी प्रकृति के नहीं हैं जिन्हें राज्य द्वारा या केंन्द्र शासन की अनुमति नहीं है।

परिनियम -03

कुलाधिपति की नियुक्ति, नियम और शर्तें तथा शक्तियां

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 16 देखें)

1. कुलाधिपति की नियुक्ति प्रायोजक निकाय द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से होगी। परंतु विश्वविद्यालय की स्थापना और इसे कार्यात्मक बनाने के लिए, प्रायोजक निकाय राज्य सरकार के साथ परामर्श कर कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए कुलाधिपति नियुक्त कर सकता है, परन्तु ऐसी नियुक्ति तीन वर्ष से अधिक के लिए नही की जा सकती।

2. कुलाधिपति निजी विश्वविद्यालय कें प्रमुख होंगे।

3. कुलाधिपति शासी निकाय के बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और जब कुलाध्यक्ष उपस्थित नहीं होंगे तो डिग्री, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक अलंकरण प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

4. कुलाधिपति की बीमारी, अनुपस्थिति या मृत्यु जैसी आपात स्थिति में, कुलपति , कुलाधिपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जब तक कि कुलाधिपति अपने कार्यालय का कार्यभार पुनः ग्रहण न करलें या नये कुलाधिपति की नियुक्ति न कर ली जावे जैसा प्रकरण हो। यह अवधि छह महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5. कुलाधिपति के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी :–
   (i) कोई भी जानकारी या अभिलेख की मॉग कर सकता है।

   (ii) कुलपति को हटाने के लिए कुलाध्यक्ष को रिपोर्ट करेगा, यदि वह शिकायतों के आधार पर संतुष्ट है कि कुलपति ने अधिनियम/परिनियम या अध्यादेशों का उल्लंघन किया है या कोई वित्तीय अनियमितता की है।

6. कुलाधिपति कुलाध्यक्ष को संबोधित एक हस्तलिखित पत्र द्वारा अपने कार्यालय से इस्तीफा दे सकता है। इसकी एक प्रति प्रायोजक निकाय के अध्यक्ष को भेजी जाएगी।

7. कुलाधिपति अधिनियम की धारा–16 में निर्दिष्ट शक्तियों और परिनियमों के तहत निर्धारित अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

8. यह सुनिश्चित करना कुलाधिपति का कर्तव्य होगा कि अधिनियम, नियमों, परिनियमों , अध्यादेशो और विनियमों का निष्ठापूर्वक पालन किया जा रहा है।

परिनियम -04

कुलपति की नियुक्ति, नियम और शर्तें तथा शक्तियां

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 17 देखें)

1. कुलपति की नियुक्ति तत्संबंधी उद्देश्य के लिए गठित खोजबीन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल से कुलाध्यक्ष द्वारा की जावेगी। कुलपति की योग्यता यूजीसी के मापदंड के अनुसार होगी।

2. खोजबीन समिति अधिनियम के सेक्शन –17 में निर्धारित तरीके से कुलपति की नियुक्ति के लिए कम से कम तीन प्रतिष्ठित शिक्षाविदों का एक पैनल प्रस्तुत करेगी।यदि कुलाध्यक्ष द्वारा खोजबीन समिति की अनुशंसा को मान्य नही किया जाता है तो वह खोजबीन समिति से नई अनुशंसा की मांग कर सकता है।

   परंतु नए स्थापित निजी विश्वविद्यालय को संचालन की स्थिति में लाने हेतु कुलाध्यक्ष द्वारा कुलाधिपति की सलाह पर 2 वर्ष की अवधि के लिए कुलपति नियुक्त किया जाएगा।

3. कुलपति, उपधारा (10) में निहित प्रावधान के अधीन, चार साल की अवधि के लिए कार्यालय का प्रभार धारण करेगा। अवधि की समाप्ति पर; कुलपति एक और अवधि के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। एक कुलपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् भी नये कुलपति के कार्यभार ग्रहण करने तक पद पर बने रहेंगे परंतु, किसी भी मामले में यह अवधि 6 महीने से अधिक नहीं होगी।

4. कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी होंगा , तथा विश्वविद्यालय के कियाकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण बनाये रखेगा और विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरियों के निर्णयों का कियान्वयन करवायेगा।

5. कुलाध्यक्ष और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

6. यदि कुलपति की राय में किसी भी मामले पर तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है जिसके लिए इस अधिनियम के तहत या इसके तहत किसी अन्य प्राधिकारी को शक्तियां प्रदान की जाती हैं, तो वह आवश्यक कार्यवाही कर सकता है जैसा कि वह आवश्यक मानता है, और शीघ्र से शीघ्र इस तरह के अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट सक्षम अधिकारी या प्राधिकारी को करेगा, जो कि सामान्यतः उस मामले में कार्यवाही करता है।

   परंतु संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी की राय में इस तरह की कार्यवाही को कुलपति द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी, तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

7. बीमारी, लंबी अनुपस्थिति, निलंबन, सेवासमाप्ति, त्यागपत्र या कुलपति की मृत्यु जैसी आपात स्थिति के मामले में, कुलाधिपति विश्वविद्यालय के प्रति–कुलपति या वरिष्ठ प्रोफेसर या कुलसचिव को कुलपति के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को आवंटित कर सकता है। यद्यपि अस्थाई व्यवस्था की यह अवधि आम तौर पर छह महीने से अधिक नहीं होगी।

   परंतु कुलपति द्वारा की गई कोई भी कार्यवाही से विश्वविद्यालय की सेवा में उपयुक्त व्यक्ति को प्रभावित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को उस तारीख से तीन महीने के भीतर शासी निकाय के समक्ष अपील करने का पात्र होगा। शासी निकाय का निर्णय संबंधित व्यक्ति को अपील करने से अधिकतम 3 माह के भीतर सूचित कर दिया जावेगा।

8. यदि, कुलपति की राय में विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण का कोई निर्णय इस अधिनियम, अध्यादेश या परिनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप नहीं है, या विश्वविद्यालय के हितो के प्रतिकूल है, तो वह अपने निर्णय को संशोधित करने के लिए संबंधित प्राधिकारी से अनुरोध करेगा। यदि प्राधिकरण इस तरह के निर्णय को पूरी तरह से या आंशिक रूप से संशोधित करने से इंकार कर देता है या पंद्रह दिनों के भीतर कोई निर्णय लेने में विफल रहता है, तो इस तरह के मामले को कुलाधिपति को भेजा जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा, जिसे अनुमोदन के लिए शासी निकाय को प्रेषित किया जाएगा।

9. कुलपति इस तरह की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और इस तरह के कर्तव्यों का पालन करेंगे जैसा कि परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट किया गया है।

10. यदि किसी भी समय, अभ्यावेदन प्राप्त होने पर या अन्यथा प्रतिनिधित्व पर, कुलाध्यक्ष को यह प्रतीत होता है कि कुलपति द्वारा :–

(अ) इस अधिनियम के तहत या उसके तहत सौपें गए किसी भी कर्तव्यों को निष्पादित करने में लापरवाही बरती गई है अथवा

(ब) उसने विश्वविद्यालय के हित के प्रतिकूल तरीके से कार्य किया है, अथवा

(स) विश्वविद्यालय के गतिविधियों के प्रबंधन में अक्षम सिध्द हुआ है, तो कुलाधिपति इस तथ्य के साथ कि उनका कार्यकाल समाप्त नही हुआ है कारणों का उल्लेख करते हुए लिखित में कुलपति के पद को उस तिथि से रिक्त करने के लिए कह सकता है ,जैसा कि आदेश में उल्लेखित है ।

11. उपधारा (10) के तहत कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि कुलपति को समुचित आधार दर्शाते हुए इस तरह की कार्यवाही की सूचना न दे दी जावे, और उन्हे प्रस्तावित आदेश के विरूध्द कारण बताने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान न कर दिया जावे।

12. उपधारा (10) के तहत आदेश में उल्लेखित तारीख से कुलपति अपने पद से पदमुक्त माने जायेगे और कलपति का पद रिक्त माना जावेगा।

परिनियम -05

कुलसचिव की नियुक्ति, नियम और शर्तें तथा शक्तियां

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 18 देखें)

(1) कुलसचिव की नियुक्ति इस उद्देश्य हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसा पर शासी निकाय द्वारा किया जावेगा जैसा कि पनिनियमों में उल्लेखित है यद्यपि पहला कुलसचिव प्रायोजक निकाय द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। चयन समिति में निम्न शामिल होंगेः–

i.	कुलपति	अध्यक्ष
ii.	कुलपति के नामांकित	सदस्य
iii.	राज्य सरकार का एक नामांकित	सदस्य
iv.	सीजीपीयूआरसी की ओर से एक विशेषज्ञ सदस्य जो प्राध्यापक वर्ग से नीचे के स्तर का न हो	सदस्य

(2) कुलसचिव की योग्यता यूजीसी मापदंडों के अनुसार होगी।

(3) कुलसचिव द्वारा सभी अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और सभी दस्तावेजों और अभिलेखो में विश्वविद्यालय की ओर से प्रमाणित किए जाएंगे। पूर्णकालिक अधिकारी होने के नाते वह कुलपति के सामान्य अधीक्षण के इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ।

(4) कुलसचिव शासी निकाय, प्रबंधन मंडल और अकादमिक परिषद के पदेन सदस्य सचिव होंगे परन्तु उन्हें मताधिकार नहीं होगा।

(5) कुलसचिव को समय–समय पर कुलाधिपति द्वारा लिए गए निर्णय तथा यूजीसी मापदंडों के अनुसार वेतन ,डीए और अन्य भत्ते प्राप्त होंगे।

(6) कुलसचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और निर्धारित किए गए अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि परिनियमों में निर्धारित है।

(7) यदि किसी भी समय प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन या बाद में की गई जॉच जो आवश्यक समझी गई से निष्कर्ष निकलता है कि कुलसचिव की निरंतरता विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो ऐसी स्थिति में कुलपति लिखित में कारण दर्शाते हुए कुलाधिपति से कुलसचिव को पद से हटाए जाने का लिखित अनुरोध कर सकता है।
परंतु इस उपधारा के तहत कार्यवाही करने से पहले, कुलसचिव को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(8) **कुलसचिव का चयन**
चयन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगीः

(i) विश्वविद्यालय व्यापक प्रसारित होने वाले समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा/या अन्य माध्यम से पद के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ii) समिति प्रत्येक उम्मीदवार की प्रावीण्यता के आधार पर साक्षात्कार कर उनकी योग्यता का परीक्षण कर नियुक्ति के संबंध में शासी निकाय को अपनी अंतिम अनुशंसा भेजेगा।

(iii) यदि पहले विज्ञापन में कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नही होता तो पश्चात्वर्ती विज्ञापन जारी किया जावेगा।

(iv) चयन समिति प्रत्येक उम्मीदवार का साक्षात्कार कर और प्रावीण्यता क्रम में तीन उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करेगी और इसे मुहरबंद लिफाफे में शासी निकाय को प्रस्तुत करेगी जो कुलसचिव की नियुक्ति पर अंतिम निर्णय करेगी।

(v) अनुमोदित पैनल एक वर्ष तक वैद्य रहेगा।

(vi) उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नही होने पर कुलाधिपति प्रतिनियुक्ति या संविदा नियुक्ति के माध्यम से अस्थाई व्यवस्था की जा सकती है।

(vii) जब कुलसचिव का कार्यालय रिक्त हो जाता है या जब बीमारी या लंबी अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से, कार्यालय के अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ होता है, तो ऐसी स्थिति में कार्यालय के कर्तव्यों को पूरा करने हेतु कुलाधिपति या कुलपति इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त कर सकता हैं।

(9) कुलसचिव के कर्तव्य होंगे :–

(i) अभिलेख सामान्य संपत्ति और विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य संपत्ति जैसा कि शासी निकाय सुनिश्चित करेगा का रख–रखाव करना ।

(ii) अधिकृत रूप से कुलसचिव द्वारा सभी अनुबंधो पर हस्ताक्षर किये जावेगें और सभी दस्तावेजों एवं अभिलेखों को विश्वविद्यालय की ओर से प्रमाणित किया जावेगा।

(iii) शासी निकाय, प्रबंधन मंडल, अकादमिक परिषद् की ओर से किसी अन्य निकाय या समिति के आधिकारिक पत्राचार करेगा जिसमे वह सदस्य सचिव हो सकता है।

(iv) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठक की तारीखों की सूचना सदस्यो को देने के लिए नोटिस जारी करने और बैठक के संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्था करने और समय–समय पर प्रबंधन मंडल द्वारा प्रदत्त अन्य कर्तव्यों के लिए, वह सहायता प्रदान करेगा।

(v) शासी निकाय, अकादमिक परिषद, प्रबंधन मंडल, और ऐसे अन्य निकायों की बैठक के एजेंडे सदस्यो को भेजना जो कुलाधिपति/कुलपति के निर्देश पर गठित है, बैठको की कार्यवाही रिकार्ड करना और इसे कुलपति और कुलाधिपति को भेजना । वह ऐसे सभी कागजात, दस्तावेज और जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे जो कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति द्वारा वांछित हो।

(vi) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति/कुलपति द्वारा सौंपे गये अन्य सभी कार्यों का निर्वहन करना जो परिनियमों ,अध्यादेशों और विनियमों के अनुसार सौंपे गये है।

(vii) विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों/इकाइयों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के कार्य की निगरानी और नियंत्रण करना और उनकी गोपनीय प्रतिवेदन लिखना।

(viii) अपनी सील और हस्ताक्षर के तहत मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य प्रासंगिक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी करना। जारी करने से पहले डिग्री, प्रमाण पत्र के पीछे वह अपने कार्यालय की मुहर के साथ अपने हस्ताक्षर भी करेंगे।

(ix) कुलसचिव सदस्य सचिव के रूप मे शासी निकाय प्रबंधन मंडल व अकादमिक परिषद की बैठक, सदस्य सचिव है अध्यक्ष की अनुमति से बोल सकता है परन्तु उसे मतदान का अधिकार नही होगा।

(x) शासी निकाय/प्रबंधन मडल/अकादमिक परिषद और अन्य परिषद/निकायों की बैठक में लिए गए निर्णय को निष्पादित करने की जिम्मेदारी कुलसचिव की होगी जिसमे वह सदस्य सचिव है।

(xi) विश्वविद्यालय के द्वारा या उसके विरूध्द न्यायिक प्रकरणो में प्रबंधन मंडल द्वारा अधिकृत होने पर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने, पॉवर ऑफ अटर्नी पर हस्ताक्षर करने या इस उद्देश्य के लिए अपना प्रतिनिधि को नियुक्त करना।

(xii) कुलसचिव से कार्यालयीन कार्यो की प्रगति मांगे जाने पर कुलाधिपति/कुलपति को कार्यलयीन कर्तव्यों के अंर्तगत प्रस्तुत करेगा।

(xiii) कुलसचिव को शिक्षक एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ को छोड़ कर जैसा कि कार्य परिषद के आदेश में निर्दिष्ट हो ऐसे कर्मचारियो के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने तथा लंबित जांच में उनको

निलंबित करने, उनको प्रशासनिक चेतावनी देने या आरोप की शास्ति उन पर अधिरोपित करने या वेतन वृध्दि रोकने की शक्ति होगी।

परंतु इस तरह की किसी भी शास्ति को तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को प्रस्तावित कार्यवाही के खिलाफ कारण बताने का उचित अवसर नहीं दिया जाता है।

ऐसे मामले में जहां जांच से पता चलता है कि अधिरोपित शास्ति कुलसचिव की शक्ति से परे है, तो कुलसचिव, जांच के समापन पर, अनुशंसा के साथ इस संबंध में कुलपति को एक प्रतिवेदन देगा।

कुलपति द्वारा दंड स्वरूप जारी किसी भी आदेश के खिलाफ 'शासी निकाय को अपील की जा सकती है।

(xiv) विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं कुलसचिव की निगरानी और पर्यवेक्षण के तहत परीक्षा नियंत्रक द्वारा आयोजित की जाएंगी जो परीक्षा की प्रक्रिया के संबंध में परीक्षा और परीक्षा समिति को सुझाव सलाह एवं आवश्यक आदेश दे सकेगा जिसे उन्हे पालन करने की बाध्यता होगी।

(xv) कुलसचिव शासी निकाय, प्रबंधन मंडल और अकादमिक परिषद का पदेन सचिव होगा।

(10) कुलसचिव कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को संबोधित करते हुए एक हस्तलिखित पत्र द्वारा एक महीने का नोटिस देते हुए पद से त्यागपत्र दे सकता है।

परिनियम -06

मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी की नियुक्ति, नियम और शर्तें तथा शक्तियां

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 19 देखें)

(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा परिनियमों में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जावेगी। वह कुलपति के सामान्य अधीक्षण नियंत्रण के अधीन विश्वविद्यालय के वित्त एवं लेखा संबंधी कार्यो के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) सीएफएओ हेतु योग्यता स्नातकोत्तर होगी ,प्राथमिकता वाणिज्य/अर्थशास्त्र वित्तिय प्रबंध के साथ किसी विश्वविद्यालय/संस्थान/संगठन में लेखा/वित्त विभाग में पॉच वर्षो का कार्य अनुभव ।

(3) सीएफएओ ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि परिनियम में निर्धारित है।

(4) प्रथम सीएफएओ कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। पहले सीएफएओ के अलावा, बाद के सीएफएओ को इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की अनुशंसा पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। चयन समिति में निम्न शामिल होंगेः–

(i)	कुलाधिपति	अध्यक्ष
(ii)	कुलाधिपति के नामित	सदस्य
(iii)	प्रबंधन मंडल द्वारा अनुमोदित एक विशेषज्ञ	सदस्य
(iv)	CGPURC का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(v)	सदस्य सचिव के रूप में कुलसचिव	सदस्य

वेतन और अन्य परिलब्धिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जावेगी।

(5) सीएफएओ का चयनः विश्वविद्यालय सीएफएओ के चयन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगाः–

(अ) विश्वविद्यालय व्यापक प्रसारित समाचार पत्रों अन्य विज्ञापन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ब) इस पद के लिए आवेदन किए सभी उम्मीदवारों का संक्षेपिका समिति द्वारा तैयार की जावेगी।

स) चयन समिति की बैठक की तारीख निर्धारित की जाएगी और इसकी सूचना कम से कम 15 दिन पहले चयन समिति के सदस्यों को दी जावेगी।

(द) चयन समिति प्रत्येक उम्मीदवार की योग्यता के निर्णय हेतु साक्षात्कार लेगी तथा प्रावीण्यता के क्रम में तीन उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करेगी और इसे एक मुहरबंद लिफाफे में रखेगी जो कुलाधिपति को भेजी जाएगी जो इसे अंतिम निर्णय के लिए शासी निकाय के समक्ष रखेंगे। अनुमोदित पैनल एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

(ई) यदि पहले विज्ञापन के पश्चात योग्य उम्मीदवार नही मिलता तो पुनः पश्चात्वर्ती विज्ञापन जारी किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में कुलाधिपति प्रतिनियुक्ति/तदर्थ आधार पर भी पद भरकर या एक वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति करके अस्थाई व्यवस्था कर सकते हैं। यद्यापि यह व्यवस्था एक वर्ष के लिए होगी।

(फ) यदि सीएफएओ का पद रिक्त हो जाता है या जब सीएफएओ किसी अन्य कारण से बीमारी या लंबी अनुपस्थिति के कारण कार्यालय में अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है, तो कार्यालय के कर्तव्यों को ऐसे व्यक्ति द्वारा संपादित किया जाएगा जिसे कुलाधिपति/कुलपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करेंगे।

(ग) यदि किसी भी समय किए गए अभ्यावेदन या अन्यथा, ऐसी पूछताछ जो जरूरी समझी जा सकती है, से स्पष्ट होता है कि सीएफएओ की निरंतरता विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो कुलपति कुलाधिपति को लिखित में कारण सहित सीएफएओ को हटाने के लिए अनुरोध कर सकता हैं। कुलाधिपति इस मामले को शासी निकाय के विचार के लिए रखेंगे जिसका निर्णय अंतिम होगा। परंतु हटाने की ऐसी कार्यवाही करने से पहले, सीएफएओ को सुनवाई का मौका दिया जाएगा।

(6) सीएएफओ को समय–समय पर प्रबंधन मंडल द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार वेतन और अन्य भत्ते प्राप्त होंगे।

(7) सीएफएओ की सेवानिवृत्ति की उम्र बासठ वर्ष होगी।

(8) **सीएफएओ के कर्तव्यः**

(अ) वित्तिय अभिलेखो का सही रखरखाव करना तथा विश्वविद्यालय से लेखों व कोषो का प्रबंधन कर उन्हे नियमित रूप से आंकेक्षण कराना।

(ब) विश्वविद्यालय के लेखा और वित्त के कामकाज की निगरानी, नियंत्रण और विनियमन करना।

(स) वित्तीय अभिलेखों का रखरखाव और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य वित्त संबंधित अभिलेखो का रखरखाव करना जैसा शासी निकाय निर्णय लेगा।

(द) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति/कुलपति द्वारा आवंटित सभी कार्यों को संपादित करना ।

(ई) नकदी और बैंक–बैलेंस और निवेश की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखना।

परिनियम -07
शासी निकाय की शक्तियां और कार्य
(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
(स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 21 (1) (ए), 22 और 26 (1) देखें)

(1) अधिनियम की धारा 22 के अनुसार विश्वविद्यालय की शासी निकाय में निम्नलिखित शामिल होंगे,
(अ) कुलाधिपति
(ब) कुलपति
(स) शासी निकाय द्वारा नामित तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनमें से कम से कम एक ख्यातिसब्ध शिक्षाविद् हो।
(द) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत ख्याति प्राप्त छह नामों के पैनल से कुलाध्यक्ष द्वारा तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति को मनोनीत किया जावेगा।
(ई) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि जो उप सचिव के पद से नीचे का नहीं होगा।

(2) कुलाधिपति शासी निकाय के पदेन अध्यक्ष होगे।
(3) शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकारी होगा। विश्वविद्यालय की समस्त चल और अचल संपत्ति पर शासी निकाय का अधिकार होगा। उसे निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगीः –

(अ) सामान्य अधीक्षण और दिशा–निर्देश प्रदान करने और इस अधिनियम द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी शक्तियॉ या परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के तहत प्राप्त शक्तियॉ।

(ब) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के निर्णयों की समीक्षा करना यदि वे अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों में प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं।

(स) निजी विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।

(द) निजी विश्वविद्यालय द्वारा पालन की जाने वाली नीतियों को निर्धारित करना।

(ई) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन की अनुशंसा करना जब निजी विश्वविद्यालय के कार्य का सुचारू रूप से संचालन संभव नहीं हो।

(फ) परिनियमों में निर्धारित अन्य शक्तियों और कार्यों का उपयोग करना।

(4) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में शासी निकाय की कम से कम तीन बैठके होंगी ।

(5) शासी निकाय की बैठकों के लिए कोरम पांच होगा।

(6) शासी निकाय का कोई भी सदस्य, शासी निकाय के अध्यक्ष अथवा मनोनित अधिकारी को लिखित सूचना देकर अपना त्यागपत्र दे सकता है। सदस्य का त्यागपत्र संक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाने की तिथि से प्रभावशील होगा।

परिनियम -08
प्रबंधन मंडल की शक्तियां और कार्य
(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
(स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 21 (1) (बी), 23 और 26 (1) (ए) देखें)

(1) प्रबंधन मंडल का गठन व कार्य अधिनियम की धारा 23 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा।

(2) प्रबंधन मंडल में निम्नानुसार सदस्य शामिल होंगे–
(अ) कुलपति
(ब) प्रायोजक निकाय द्वारा नामित दो प्रतिनिधि।
(स) राज्य सरकार द्वारा नामित दो प्रतिनिधि।
(द) विश्वविद्यालय के दो वरिष्ठतम प्रोफेसर चक्रीय क्रम में नामित होंगे।
(ई) उपधारा (1) (द) के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के दो वरिष्ठ शिक्षक चक्रीय क्रमानुसार नामित होंगे।

(3) प्रबंधन मंडल में मनोनीत सदस्यों के कार्यकाल तीन साल होगी। लगातार दो से अधिक कार्यकाल के लिए कोई भी सदस्य नामित नहीं किया जाएगा।

(4) कुलपति प्रबंधन मंडल के पदेन अध्यक्ष होंगे।

(5) प्रबंधन मंडल की शक्तियां और कार्य
(i) प्रबंधन मंडल के ऐसे निर्णयों जिससे विश्वविद्यालय का वित्त पहलू प्रभावित होता हो के क्रियान्वयन से पहले शासी निकाय की स्वीकृति प्राप्त करना होगा।

(ii) शिक्षकों और अन्य अधिकारियों और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के पद की स्वीकृति पर विचार करना तथा शासी निकाय को इस हेतु अनुशंसा करना ।

(iii) शिक्षक/कर्मचारियों के लिए चयन हेतु गठित समिति की कार्यवाही विवरण पर विचार और इसे अनुमोदन कर उसे शासी निकाय के निर्णय हेतु प्रस्तुत करना ।

(iv) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सक्षम प्राधिकारी को शुल्क संरचना का प्रस्ताव देना।

(v) शासी निकाय/कुलाधिपति द्वारा सौंपा गया अन्य कोई भी कार्य।

(6) प्रबंधन मंडल की बैठके प्रत्येक दो महीनों में कम से कम एक बार आयोजित होगी।

(7) प्रबंधन मंडल की बैठकों का कोरम पांच का होगा।

परिनियम -09

शैक्षणिक परिषद का निर्माण, शक्तियां और कार्य

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 21(1)(सी), 24 और 26(1)(ए) देखें)

(1) अकादमिक परिषद में कुलपति और अन्य सदस्य निम्नानुसार होगा : —

(i)	कुलपति	अध्यक्ष
(ii)	प्रति–कुलपति	सदस्य
(iii)	सभी अधिष्ठाता और विभाग प्रमुख	सदस्य
(iv)	विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के सभी प्राध्यापक	सदस्य
(v)	राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालय/केंद्रीय संस्थान के तीन प्राध्यापक (कुलाधिपति द्वारा मनोनीत)	सदस्य
(vi)	कुलाधिपति द्वारा मनोनित वैज्ञानिक/शिक्षाविद/तकनीशियन/उद्योगपति मे से तीन प्रतिनिधि।	

(2) शैक्षणिक परिषद विश्वविद्यालय; का प्रमुख अकादमिक निकाय होगा। जो विश्वविद्यालय और इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियम के प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालय की अकादमिक नीतियों व कार्यक्रमो के सामान्य पर्यवेक्षण व समन्वय का कार्य करेगा।

(3) अकादमिक परिषद के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। लगातार दो से अधिक कार्यकाल के लिए कोई भी सदस्य नामित नहीं किया जाएगा।

(4) अध्यक्ष होने के नाते कुलपति, अकादमिक परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ अधिष्ठाता(डीन) बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

(4) कुलसचिव अकादमिक परिषद के सदस्य सचिव होंगे और कुलसचिव की अनुपस्थिति में, कुलपति द्वारा अधिकृत कोई अन्य सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(5) अध्यक्ष सहित परिषद के एक तिहाई सदस्यो से बैठक का कोरम निर्धारित है परन्तु स्थगित बैठक के लिए कोई कोरम आवश्यक नहीं होगा।अकादमिक परिषद की सभी बैठकों के लिए आमतौर पर पंद्रह दिनों का नोटिस दिया जाएगा और एजेंडा पत्र बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पहले जारी किए जाएंगे। आकस्मिक बैठक के लिए नोटिस सामान्यतः 3 दिन होगी।

(6) अधिनियम के प्रावधान के अधीन, अकादमिक परिषद की निम्नलिखित शक्तियां और कार्य होंगे :–

(i) किसी विषय विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को सहयोजित करना जो परिषद में विचार के लिए ऐसे किसी प्रयोजन पर उचित सुझाव दे सके। इस प्रकार सहयोजित सदस्यो के पास परिषद के सदस्यो के समस्त अधिकार होंगे।

(ii) विश्वविद्यालय में शिक्षण, अनुसंधान और संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना ।

(iii) विश्वविद्यालय की अकादमिक नीतियों और कार्यक्रमों का सामान्य पर्यवेक्षण करना तथा शिक्षण, शिक्षा एवं शोध का मूल्यांकन और अकादमिक मानकों में सुधार की पध्दतिं, शिक्षण और मूल्यांकन के तरीके के बारे में निर्देश देना।

(iv) सामान्य शैक्षणिक हितों के मामले को या तो अपनी पहल पर या संकाय या प्रबंधन मंडल या शासी निकाय द्वारा किए गए संदर्भ पर उचित कार्यवाही करने विचार करना।

(v) संकायो को समस्त कोष आबंटित करने के लिए शासी निकाय को प्रस्ताव बनाना।

(vi) फैलोशिप, छात्रवृत्ति, विद्यार्थीवृत्ति, प्रदर्शनी के लिए शासी निकाय को प्रस्ताव देना और उनके पुरस्कार, पदक और उपाधि के लिए नियम बनाना।

(vii) अपने विषय में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों को पहचान कर अंतः विषय/विषयों में अनुसंधान पर्यवेक्षक/सह–पर्यवेक्षक के रूप में अध्यादेश में निर्धारित अनुसार सहयोजित करना।

(viii) विश्वविद्यालय के संकायों /स्कूलो /विभागो को विभिन्न विषयो के लिए मान्यता एवं निर्दिष्टीकरण हेतु योजना निर्मित करना उपांतरण करना या संशोधित करना।

(ix) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधि का नामकरण यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करना।

(x) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों के प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्री को ए.आई.यू. के मापदंड के अनुसार समकक्षता निर्धारित करना।

(xi) महिला छात्रों के शिक्षण के लिए विशेष व्यवस्था करने और उनके लिए अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम निर्धारित करना।

(xii) विश्वविद्यालय के संकाय/विभागों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक प्रस्तावों पर विचार करना।

(xiii) संकाय/विभागों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों के पाठ्यक्रम का अनुमोदन करना तथा इस उद्देश्य के लिए निर्मित अध्यादेशों के अनुसार परीक्षाओं के आयोजन की व्यवस्था करना।

(xiv) छात्रवृत्ति, विद्वता, पदक, पुरस्कार और उपाधि से संबंधित प्रकरणों में उपाधि के लिए अनुशंसा करना एवं समय–समय पर अध्यादेश में निर्धारित शर्तो के अनुसार उपाधि के लिए प्रस्ताव देना।

(xv) अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा विषयों के लिए निर्धारित या अनुशंसित पाठ्य पुस्तकों की सूची प्रकाशित करना ।

(xvi) परीक्षा कार्य हेतु पारिश्रमिक एवं भत्तों की दरों के अनुमोदन की अनुशंसा शासी निकाय को करना।

(xvii) कुलाधिपति/शासी निकाय या प्रबंधन मंडल द्वारा संदर्भित किसी भी विषय पर अनुशंसा करना।

(xviii) ऐसी अन्य शक्तियो का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करना जिन्हे समय–समय पर विहित किया गया हो।

परिनियम -10
वित्त समिति की शक्तियां और कार्य
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005
की धारा 21(1) (डी) और 26(1)(ए) देखें)

(1) वित्त समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :–

(i)	कुलाधिपति या उनके नामित	–	अध्यक्ष
(ii)	कुलपति	–	सदस्य
(iii)	कुलसचिव	–	सदस्य
(iv)	प्रायोजक निकाय द्वारा नामित एक व्यक्ति	–	सदस्य
(v)	मुख्यवित्त एवं लेखा अधिकारी	–	सदस्य–सचिव

पदेन सदस्यों के अतिरिक्त वित्त समिति के शेष सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(2) वित्त समिति प्रत्येक अकादमिक वर्ष में कम से कम दो बैठक करेगी। वित्त समिति की बैठक के लिए सूचना बैठक के कम से कम पंद्रह दिन पहले समिति के सदस्यों को भेजी जावेगी। तथा बैठक की कार्य सूची बैठक के कम से कम सात दिन पूर्व सदस्यो को भेजी जाएगी।

(3) अध्यक्ष समेत वित्त समिति के तीन सदस्य बैठक में कोरम का गठन करेंगे।

(4) वित्त समिति के कार्य और शक्तियां निम्न होंगीः–

(अ) विश्वविद्यालय की आय और व्यय के वार्षिक ऑकलन तैयार करना और शासी निकाय के समक्ष पहले विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना।

(ब) कुलपति के मार्गदर्शन में तैयार विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा पर विचार करना और इसे पहले शासी निकाय के समक्ष उनके विचार और अनुमोदन के लिए रखना।

(स) विश्वविद्यालय को इस तरह के नियमों व शर्तो पर वसीयत की गई सम्पतियों व दान स्वीकार करने के लिए शासी निकाय को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करना ।

(द) विश्वविद्यालय के लिए संसाधन उत्पन्न करने के प्रक्रिया और उपाय की अनुशंसा करना।

(ई) शासी निकाय द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य मामले पर विचार करना तथा उपयुक्त अनुशंसाए करना।

(फ) वित्त को प्रभावित करने वाले किसी भी मामले पर विश्वविद्यालय को सलाह देना।

(ग) यह देखना कि विश्वविद्यालय के आय और व्यय के लेखा के रखरखाव से संबंधित विनियमों का पालन किया जा रहा है।

परिनियम -11

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी

छत्तीसगढ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 26(1)(सी) और 20 देखें)

अधिनियम की धारा (14) उप–धारा (6) के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अन्य अधिकारी होंगे:–

1. प्रति–कुलपति

1. विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा कुलपति की अनुशंसा से चार वर्ष की अवधि हेतु प्रति–कुलपति नियुक्त किया जाएगा।

2. प्रति–कुलपति धारा (1) में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करते हुए पश्चातवर्ती अवधि हेतु पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

3. कुलपति की अनुपस्थिति में, प्रति–कुलपति विश्वविद्यालय के केवल नियमित मामलों का निपटारा करने के लिए कुलपति के कर्तव्यों का पालन करेंगे।

4. प्रति–कुलपति समय–समय पर कुलाधिपति/प्रायोजक निकाय द्वारा निर्धारित किए गए वेतन और अन्य भत्ते प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

5. प्रति–कुलपति समय–समय पर कुलाधिपति/कुलपति द्वारा आवंटित जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

6. प्रति–कुलपति अपने पद से इस्तीफा कुलपति को संबोधित किए गए अपने हस्तलिखित पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।

7. प्रति–कुलपति उत्तरदायी होंगे :

अ) सभी अनुमोदित उद्देश्यों के लिए कर्त्तव्य अवकाश को स्वीकृति देना और विश्वविद्यालय/संधारित संस्थानों के शिक्षकों को अर्जित अवकाश की स्वीकृत करना।

ब) ओरिएंटेशन/रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने के लिए कैंपस/कॉरस्पोन्डेंस कोर्स के निदेशालय (प्राध्यापक तथा अध्यक्षों के अलावा) विश्वविद्यालय के संधारित संस्थानों/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के अध्यापकों को 21 दिनों तक का कर्तव्य अवकाश स्वीकृत करना।

स) विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों और विश्वविद्यालय के रखरखाव संस्थानों के पुस्तकों, उपकरणों, फर्नीचर इत्यादि हेतु कोष संबंधी प्रस्तावों या अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए अनुरोधों का निराकरण करना।

द) समकक्षता समिति से संबंधित कार्य करना यू. जी. सी. के योजनाओ के अधीन व्यावसायिक व अन्य, पाठ्यक्रमों की मान्यता हेतु कार्य करना।

ई) कुलाधिपति/कुलपति द्वारा समय–समय विशेष रूप से आवंटित अन्य अकादमिक/प्रशासनिक कर्तव्यों का निर्वहन करना।

2. निदेशक:

1. विश्वविद्यालय के निदेशक को कुलाधिपति द्वारा साधारणतया पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रायोजक निकाय की अनुशंसा पर नियुक्त किया जाएगा।

2. उपरोक्त के रूप में धारा (1) में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा निदेशक को पश्चातवर्ती कार्यकाल हेतु पुनः नियुक्त किया जा सकता है।

3. निदेशक समय–समय पर कुलाधिपति/प्रायोजक निकाय द्वारा सौपे गये कर्तव्यों और कार्यो का निर्वाह करेगा।

4. निदेशक समय–समय पर कुलाधिपति/प्रायोजक निकाय द्वारा निर्धारित किए गए वेतन और अन्य भत्ते प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

5. निदेशक अपने पद से कुलाधिपति को संबोधित करते हुए हस्तलिखित पत्र से इस्तीफा दे सकता हैं।

6. निदेशक कुलाधिपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

7. निदेशक की उत्तरदायी होंगे :

(अ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/एआईसीटीई/ अन्य नियामक निकायों और अन्य वित्त पोषण एजेंसियों को प्रेषित होने वाले विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों तथा अनुसंधान और विकास गतिविधियों के प्रस्तावों के अनुमोदन के संबंध में मार्गदर्शन व सलाह देगा।

(ब) संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि में भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय के प्रतिनिधित्व हेतु कुलपति को अनुशंसा करना।

(स) विश्वविद्यालय की योजना और विकास पर विशेष रूप से विश्वविद्यालय में शिक्षा, शिक्षण और अनुसंधान के मापदंडों और मानकों के संबंध में सलाह देना।

(द) अन्य संस्थानो जैसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ ,कामनवेल्थ विश्वविद्यालय सहित, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन, भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र इत्यादि की सदस्यता हेतु आवेदन व अनुशंसा करना।

(ई) समय–समय पर देश और विदेशों के किसी भी विश्वविद्यालय/शिक्षण अनुसंधान संस्थान/केंद्रों के साथ साथ गठबंधन हेतु संबंधित अधिष्ठाताओ/अध्यक्षों के साथ समन्वय करने के लिए।

(फ) विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों/अध्ययन शाला/ संधारित संस्थानों में नए पाठ्यक्रमों की शुरूआत में शिक्षण और शोध कार्य के संबंध में संबंधित अधिष्ठाता के साथ समन्वय करना।

(ग) समय–समय पर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, विवरणिका और अन्य दस्तावेजों की छपाई की अनुमति देना।

(ह) किसी भी विश्वविद्यालय/भारत के साथ–साथ विदेशी शोध संस्थानो के संबंधित अधिष्ठाता के साथ समन्वय स्थापित करना।

(आई) शिक्षण, अनुसंधान और विकास बजट से सेमिनार/सम्मेलनों/प्रकाशन/यात्रा अनुदान/अतिथि व्याख्यान/अतिथि प्राध्यापको आदि के विभिन्न पदों से संबंधित प्रावधान हेतु अनुदान संबंधी प्रकरणों का निराकरण करना।

(ज) प्रायोजक निकाय/कुलाधिपति द्वारा समय–समय पर सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य और दायित्वों को पूरा करना।

(क) विभिन्न अकादमिक और प्रशासनिक उद्देश्यों हेतु वित्त समिति के समक्ष बजट आवंटन की अनुशंसा करना ।

(ल) कुलाधिपति/कुलपति द्वारा समय–समय पर विशेष रूप से सौंपे गए किसी भी अन्य अकादमिक/प्रशासनिक कर्तव्यों का निर्वहन करना।

3. अधिष्ठाता अकादमिक गतिविधि :–

1. अधिष्ठाता अकादमिक गतिविधियों को कुलाधिपति की अनुशंसा पर तीन वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

2. उपरोक्त धारा (1) में निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा अधिष्ठाता अकादमिक मामलों को पश्चातवर्ती कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकता है।

3. अधिष्ठाता अकादमिक गतिविधि समय–समय पर कुलपति द्वारा सौंपे गये कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करेगा।

4. अधिष्ठाता अकादमिक गतिविधि प्रायोजक निकाय/ कुलाधिपति/कुलपति द्वारा निर्धारित किए गए वेतन और भत्ते प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

5. अधिष्ठाता अकादमिक गतिविधि उत्तरदायी होंगेः–

(अ) विभिन्न विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों द्वारा किए गए छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया का समन्वय और पर्यवेक्षण करना।

(ब) संध्याकालीन कक्षाओं समेत सभी विश्वविद्यालय कक्षाओं जिनमें डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी शामिल है आदि के आयोजन की व्यवस्था करना।

(स) अकादमिक कैलेंडर तैयार करना और अनुमोदित करना ।

(द) अंतर अनुशासिक संकाय के मामलों के संबंध में डीन के साथ समन्वय करना।

(ई) समय–समय पर कुलाधिपति/कुलपति द्वारा सौपे गये कोई अन्य कार्य और कर्तव्यों को पूरा करना।

4. छात्र कल्याण अधिष्ठाता

1. छात्र कल्याण अधिष्ठाता (डीएसडब्ल्यू) को कुलपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और वे पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। बशर्ते कि इस तथ्य के बावजूद कि तीन वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है, प्रबंधन मंडल, कुलपति की अनुशंसा पर, छात्र कल्याण अधिष्ठाता की नियुक्ति को समाप्त कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अधिष्ठाता छात्र कल्याण सेवा की निरंतरता जारी रखने के उददेश्य हेतु हानिकारक होगा जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है।

2. जहां छात्र कल्याण अधिष्ठाता एक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी है, वहा उनकी अर्हता निम्न होगी :–

(अ) पीएचडी के साथ किसी भी विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि हो। उसे स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन का पांच वर्ष का अनुभव या उपाधि कक्षाओं में अध्ययन का दस वर्ष का अनुभव के, अतिरिक्त पाठ्यचर्या, शैक्षणेत्तर गतिविधियों में मार्गदर्शन का अनुभव और छात्र समस्याओं को समझने का भी अनुभव हो।

(ब) शासी निकाय द्वारा निर्धारित वेतनमान पर वेतन प्राप्त करेंगे।

3. छात्र कल्याण के अधिष्ठाता, यदि विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया गया है, तो वह अपने मूल पद पर अपनी सेवा लगातार जारी रखेगा और उन सभी लाभों के लिए पात्र होगा जो छात्र कल्याण अधिष्ठाता के रूप में उनकी नियुक्ति से पूर्व उन्हे प्राप्त होता था।

4. छात्र कल्याण अधिष्ठाता शासी निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के अन्य सभी कर्मचारियों के लिए निर्धारित किए गये वेतन, भत्ते, भविष्य निधि, चिकित्सा अवकाश व अवकाश वेतन, अन्य अवकाश वेतन सहित अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

5.

i) छात्र कल्याण अधिष्ठाता विश्वविद्यालय छात्र परिषद का सलाहकार व सह कोषाध्यक्ष होगा।

ii) कुलपति के नियंत्रण के अधीन, छात्र कल्याण अधिष्ठाता करेंगे :

अ) छात्रों के लिए उपयुक्त आवास सुविधाओं को सुनिश्चित करना।

ब) कुलपति द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार छात्रों के रोजगार की व्यवस्था करना।

स) छात्रों के कल्याण से संबंधित विषयों पर छात्रों के अभिभावकों के साथ संवाद करना।

द) सक्षम अधिकारियों से छात्रों के लिए यात्रा सुविधाएं प्राप्त करना।

ई) छात्रवृत्ति, विद्यार्थीवृत्ति आदि प्राप्त करने में छात्रों को वांछित जानकारी देकर उनको सहयोग करना।

फ) कुलपति की अनुमोदन के बाद कुलसचिव द्वारा समय–समय पर उन्हें सौंपे जाने वाले अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना।

5. परीक्षा नियंत्रक

1. परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का वह अधिकारी होगा जो विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों के मध्य से ही कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

2. जब बीमारी या किसी भी अन्य कारण से या अनुपस्थिति के कारण परीक्षा नियंत्रक का स्थान रिक्त होता है, वह कार्यालय के कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ, हो जाता है तो कार्यालय के कर्तव्यों को पूरा करने हेतु कुलपति शिक्षको व अधिकारियों मे से किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता हैं ।

3. परीक्षा नियंत्रक परीक्षा के संचालन और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की निगरानी करेगा और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बाद परीक्षाओं और परिणामों की घोषणा संबंधी सभी प्रक्रियाओं को निष्पादित करेगा।

4. परीक्षा नियंत्रक की शक्तियां और कर्तव्यों को कुलसचिव द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

5. वह कुलपति के सीधे निगरानी और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

6. **ग्रंथपाल**
ग्रंथपाल विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा और इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समितियों की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ग्रंथपाल की योग्यता यूजीसी के मापदंडों के अनुसार होगा।
विश्वविद्यालय के विनियमों में ग्रंथपाल की शक्तियां और जिम्मेदारियां निर्दिष्ट की जाएंगी।

7. **उप/सहायक ग्रंथपाल**
सहायक ग्रंथपाल की नियुक्ति यूजीसी मापदंडों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया, योग्यता और वेतन पर या विश्वविद्यालय के शासी निकाय/अकादमिक/परिषद द्वारा निर्धारित अनुसार की जायेगी। उप–ग्रंथपाल को आम तौर पर समय–समय पर शासी निकाय/अकादमिक परिषद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और योग्यता के माध्यम से पदोन्नति या अन्य भर्ती से नियुक्त किया जाएगा।

8. **उप/सहायक कुलसचिव**
उप/सहायक कुलसचिव विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों में सें होंगे जिनकी नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर यूजीसी के मापदण्डो के अनुसार अथवा इस संबंध में समय–समय पर शासी निकाय/शैक्षणिक परिषद् द्वारा निर्धारित होगी।

9. **निदेशक शारीरिक शिक्षा**
निदेशक शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होंगे और उनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, योग्यता और वेतन के अनुसार या समय–समय पर शासी निकाय/अकादमिक परिषद द्वारा निर्धारित होगी।

10. **खेल अधिकारी**
खेल अधिकारी विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होंगे और उनकी योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया यूजीसी मापदंडों के अनुसार होगी।

परिनियम -12

संकाय

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 की धारा ४(२) (एच), २१(१)(डी) और २६(१)(ए) देखें)

विभाग या विभागों के एक समूह/विषय निम्न सारणी अनुसार होंगे :–

अनुक्रमांक	संकाय	विभाग के विषयों / समूह
1	विज्ञान संकाय	भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, जैव विज्ञान, जैव भौतिकी, जैव प्रौद्योगिकी, मानव विज्ञान, अपराध और फॉरेंसिक, सूक्ष्म जीव विज्ञान, वानिकी और वन्य जीवन, कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण विज्ञान , नैनो, खाद्य विज्ञान और पोषण विज्ञान, डाइटेटिक्स, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, कंप्यूटर अनुप्रयोग, गृह विज्ञान, भूगोल, पोषण व्यायाम और खेल, पुस्तकालय विज्ञान, बायोलॉजिक साइंस, खगोल विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, कोशिका जीव विज्ञान और जेनेटिक्स, पादप विज्ञान, मृदा विज्ञान, सामग्री विज्ञान
2	वाणिज्य संकाय	लेखा और लेखा परीक्षा, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कराधान, वित्तीय लेखा, बैंकिंग, कंप्यूटर अनुप्रयोग बैंकिंग और वित्त, लागत लेखा, बिजनेस मैनेजमेंट व्यापार नियामक फ्रेमवर्क, औद्योगिक संगठन, उद्यमिता वित्तीय विपणन, पोर्टफोलियो प्रबंधन, सचिवीय अभ्यास, कराधान, ई–कॉमर्स , बैंकिंग और बीमा, वाणिज्य, व्यवसाय गणित, प्रबंधन लेखांकन।
3	व्यवसाय प्रबंधन के संकाय	बिजनेस मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट, सुरक्षा और पोर्टफोलियो प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, खाद्य सेवा प्रबंधन, होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी, इवेंट मैनेजमेंट, औद्योगिक प्रबंधन, आतिथ्य प्रबंधन आपदा प्रबंधन, विपणन और बिक्री प्रबंधन, निर्यात प्रबंधन, विज्ञापन प्रबंधन, विदेश व्यापार प्रबंधन, उत्पादन प्रबंधन, यात्रा और पर्यटन प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, खुदरा व्यापार प्रबंधन वाणिज्य प्रबंधन डिजिटल विपणन प्रबंधन, बैंकिंग प्रबंधन
4	कला संकाय	अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषा, हिंदी, संस्कृत, दर्शन, इतिहास, पुरातत्त्व, राजनीति विज्ञान, भूगोल, मनोविज्ञान,समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, पत्रकारिता और जनसंचार, पुस्तकालय विज्ञान, सामाजिक कार्य, वैदिक विज्ञान, नृत्य, संगीत, नाटक, भाषा विज्ञान कला और मानविकी,लोक प्रशासन, सांख्यिकी, भूगोल, योगा अध्ययन और खेल, सांस्कृतिक अध्ययन, शिक्षा, प्राचीन भारतीय इतिहास, फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन मर्केंडाइजिंग
5	अभियांत्रिकी संकाय	कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, खनन इंजीनियरिंग, धातु विज्ञान इंजीनियरिंग, वास्तुकला इंजीनियरिंग, डिजाइन (एनिमेशन और ग्राफिक्स) और वीएलएसआई डिजाइन और एंबेडेड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जल संसाधन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग , स्वचालन और रोबोटिक इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग, मेकाट्रोनिक्स
6	विधि संकाय	कानून से संबंधित पाठ्यक्रम

परिनियम -13
संकाय की शक्तियॉ एवं कार्य
(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 की धारा ४(२) (एच), २१(१)(डी) और २६(१)(ए) देखें)

(1) प्रत्येक संकाय निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगा।

(i) संकाय के अधिष्ठाता अध्यक्ष होंगे

(ii) संकाय में अध्ययन शाला के प्रमुख/अध्यक्ष

(iii) विभाग में सभी प्राध्यापक/वरिष्ठ संकाय शिक्षक

(iv) संकाय में प्रत्येक विभाग से, वरिष्ठता के अनुसार चक्रीय क्रम में एक प्राध्यापक और एक सहायक प्राध्यापाक।

(2) संकाय की अवधि तीन वर्ष होगी।

(3) संकाय की शक्ति और कार्य निम्नानुसार होगा–

(i) अध्ययन मंडलो द्वारा तैयार किये गए पाठ्यक्रम पर विचार करना एवं अनुमोदन करना।

(ii) संकाय सदस्य के रूप में शिक्षाविदों/उद्योगपतियों/वैज्ञानिकों को सहयोजित करना।

(iii) अध्ययन मंडल और स्थायी समिति तथा शैक्षणिक परिषद् के अन्य शैक्षणिक निकायों द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों की समीक्षा और अनुशंसा करना।

(iv) संकाय समय–समय पर परिनियमों एवं अध्यादेशों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा एवं आवंटित किए जाने वाले कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और अध्यादेश में निर्धारित विभिन्न विषयों को शामिल करने हेतु अध्ययन मंडल का गठन करना।

(v) शैक्षणिक परिषद् को उनके द्वारा संदर्भित विषयों पर अथवा संकाय से संबंधित किसी प्रश्न के संबंध में जैसा भी आवश्यक हो ,आवश्यक अनुशंसाए करना।

(vi) संकाय सदस्यों की कुल संख्या की आधी संख्या से गणपूरक संख्या निर्मित होगा।

परिनियम -14

संकाय अधिष्ठाता की शक्तियां और कार्य(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 26 (1) (डी), (ई),(एफ) देखें)

(1) प्रत्येक संकाय के लिए एक अधिष्ठाता होगा। संबंधित संकाय के अधिष्ठाता को संबंधित संकाय के प्राध्यापक के बीच या वरिष्ठता के अनुसार चक्रीय क्रम पर तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलपति की अनुशंसा पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा यदि संकाय में एक भी प्राध्यापक न हो तो वरिष्ठता के अनुसार चक्रीय क्रम से एसोसिएट प्रोफेसर अधिष्ठाता के रूप में कार्य करेगा।

(2) वरिष्ठता क्रम में संकाय के अधिष्ठाता अध्यक्ष होंगे और परिनियमों, अध्यादेशों और संकायों से संबंधित नियमों को पालन के लिए जिम्मेदार होंगा।

(3) संकाय अधिष्ठाता के विभाग/संकाय में अध्यापन व अनुसंधान कार्य के संचालन के संपूर्ण देखरेख के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) संकाय के अधिष्ठाता ऐसी अन्य शक्तियों कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जिन्हें शासी निकाय/कुलाधिपति/कुलपति द्वारा सौंपा गया हो।

(5) अधिष्ठाता को संकाय के किसी भी अध्ययन मंडल की किसी भी बैठक में उपस्थित होने व बोलने का अधिकार होगा, लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(6) अधिष्ठाता के पास अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय पद से इस्तीफा देने का विकल्प होगा और संकाय के अधिष्ठाता के रूप में उनकी बारी में नियुक्ति की प्रस्ताव को भी अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

परिनियम -15

विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्तियां

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) 2005 अधिनियम की धारा 26 (1) (डी), (ई), (एफ) देखें।

(1) विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों, अर्थात् प्राध्यापक, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्राध्यापक पदों के लिए न्यूनतम योग्यता प्रचलित यूजीसी मापदंडों के अनुसार होने भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेख किया जावेगा।

(2) शासी निकाय, अकादमिक परिषद की अनुशंसा का आकलन करेगा और समय–समय पर चयन प्रक्रिया के माध्यम से शैक्षणिक रिक्तियों को भरने की स्वीकृति देगा।

(3) शैक्षणिक पदों (प्राध्यापक, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्राध्यापकों) का विज्ञापन ऑनलाइन प्रसारित किया जाएगा और व्यापक प्रसारित समाचार पत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) या किसी अन्य संबंधित नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रत्येक पद के लिए आवश्यक योग्यता और वेतनमान का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

(4) कुलपति द्वारा नियुक्त तीन सदस्यों की एक छानबीन समिति सभी आवेदनों को जॉच करेगी और आवश्यक अर्हता को पूर्ण करने वाले सभी उम्मीदवारों का सारांश तैयार करेगी जिन्हे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

(5) सभी जॉच किए गए आवेदनों का सारांश साक्षात्कार के समय चयन समिति को उपलब्ध कराया जाएगा।

(6) नियमित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगेः

(i) कुलपति	अध्यक्ष
(ii) कुलपति द्वारा मनोनीत दो विषय विशेषज्ञ	सदस्य
(iii) कुलाधिपति/प्रायोजक निकाय द्वारा नामित एक सदस्य	सदस्य
(iv) सीजीपीयूआरसी का एक प्रतिनिधि या उसका एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के पद से कम श्रेणी का न हो।	सदस्य
(v) कुलसचिव	सदस्य सचिव

तीन सदस्य कोरम का निर्माण करेंगे।

(7) चयन समिति शासी निकाय को अभ्यर्थियो की व्यवस्थित सूची प्रावीण्यता के आधार पर प्रस्तुत करेगी जिन्हे वह संकाय सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त मानती है।

(8) चयन समिति द्वारा अनुशंसित एवं शासी निकाय द्वारा अनुमोदित, अभ्यर्थियो के नियुक्ति पत्र विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा जारी किए जावेगा।

(9) चयन समिति के किसी भी सदस्य द्वारा अभ्यर्थियों के चयन या नियुक्ति पर विवाद अथवा किसी सदस्य के असंतोष टीप के संबंध में विवाद की स्थिति में, प्रकरण में कुलाधिपति को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(10) नियमित शिक्षकों के अतिरक्त, कुलपति के परामर्श से कुलाधिपति उत्कृष्टता युक्त प्राध्यापको, उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ अकादमिक प्रतिष्ठा के व्यक्तियों की नियुक्ति में प्रोफेसर ऑफ एमीनेंस, प्रोफेसर एमेरिट्स, डिस्टींग्वीश्ड प्रोफेसर, एडजेक्ट प्रोफेसर एवं विश्वविद्यालय में सलाहकार/निदेशक के रूप में कर सकते हैं। इन पदों के लिए मानदेय अनुलाभ , नियम और

शर्तें कुलाधिपति द्वारा निर्धारित किया जायेगा ताकि शिक्षण अनुसंधान तथा विस्तार में अकादमिक उत्कृष्टता की स्थापना हो सके।

(11) सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त सभी शिक्षकों को दो साल तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा, जो एक वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। एक शिक्षक द्वारा परिवीक्षा की अवधि के सफल समापन पर संबंधित पद पर उनका स्थायीकरण किया जावेगा

(12) पूर्णकालिक शिक्षकों के अलावा, कुलपति प्रत्यक्ष भर्ती या वाह्य स्त्रोतों के माध्यम से, निश्चित अवधि, अंशकालिक, संविदा और/या ठेका पध्दति पर आधारित अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्ति करने का निर्णय ले सकता हैं। इस तरह की नियुक्ति के नियम और शर्ते (जैसे मानदेय, टीए/डीए, वाहन भत्ता इत्यादि) समय–समय पर विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा निर्धारित किया जावेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षकों की योग्यता के सम्बन्ध मैं समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा।

(13) इस संबंध में कोई भी विवाद/कानूनी मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला न्यायालय और छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

परिनियम -16

गैर शैक्षणिक स्टाफ के वर्ग

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 26 (1) (सी), (ई), (एफ) देखें।

1. गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की श्रेणियाँ

(1) निम्नलिखित गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों को विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किया जाएगा :–

(i) नियमित कर्मचारी
(ii) संविदा कर्मचारी
(iii) आकस्मिक कर्मचारी

(2) नियमित कर्मचारी का अर्थ है एक कर्मचारी जिसे संबंधित परिनियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट रिक्ति के विरूध्द नियुक्त किया गया है। एक नियमित कर्मचारी को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा, यदि एक या अधिक वर्षों हेतु आवश्यक हो, तो परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है परिवीक्षा अवधि के सफल समापन के बाद स्थायीकरण किया जा सकेगा।

(3) संविदा कर्मचारी का अर्थ है वह कर्मचारी जो एक विशिष्ट अवधि के लिए अनुबंध पर नियुक्त किया गया हो।

(4) आकस्मिक कर्मचारी का अर्थ है एक ऐसा कर्मचारी जो मस्टर रोल के आधार पर नियोजित किया गया हो।

2. गैर–शैक्षणिक कर्मचारीयों की नियुक्ति :–

(छत्तीगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 26(1) (सी) (ई) (एफ) के संदर्भ में)

(1) गैर–शैक्षणिक कर्मचारयों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता।

(अ) विश्वविद्यालय गैर–शैक्षणिक कर्मचारयों के लिए यूजीसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता के आधार पर नियुक्तियॉ करेगा।

(ब) विश्वविद्यालय नियुक्ति के लिए यूजीसी द्वारा निर्धारित अन्य न्यूनतम अनिवार्य शर्तो का पालन करेगा।

(2) एक गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए चयन समितियां।

(अ) एक वरिष्ठ प्रशासनिक/ वरिष्ठ गैर शैक्षणिक कर्मचारी (कुलसचिव और मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी के अलावा) गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति होगी जो पहले ही परिनियमों में परिभाषित है। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(i) कुलपति — अध्यक्ष
(ii) कुलपति द्वारा मनोनीत एक विशेषज्ञ — सदस्य
(iii) प्रबंधन मंडल द्वारा मनोनीत दो बाहरी विशेषज्ञ सदस्य — सदस्य
(iv) कुलसचिव — सदस्य सचिव

(ब) विश्वविद्यालय के अन्य प्रशासनिक/गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित चयन समिति होगीः–

(i) कुलसचिव–अध्यक्ष
(ii) कुलपति द्वारा नामित दो विशेषज्ञ
(iii) विभाग के पर्यवेक्षक/वरिष्ठ सदस्य जिसमें नियुक्ति की जा रही है

(स) **चयन समिति की बैठकें**

(i) चयन समिति की बैठकों को चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा जब आवश्यक हो, आयोजित किया जाएगा।

(ii) चयन समिति के तीन सदस्य कोरम का गठन करेंगे।

(iii) चयन समिति के अध्यक्ष को सुझाव दने/मत देने दोनो ही अधिकार होंगे।

(iv) उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक उम्मीदवारो को प्रावीण्यता के क्रम में श्रेणी निर्धारित करेगा। समिति के सदस्यों द्वारा विचार–विमर्श और चर्चा के बाद चयनित उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जावेगा, परंतु कुलपति को चयन समिति की किसी भी/सभी अनुशंसाओं को अस्वीकार करने की शक्ति होगी।

3. **पारिश्रमिक नीति**

कर्मचारियों की सभी श्रेणियों को देय वेतन और अन्य भत्ते जैसे वेतनमान या जिस वेतनमानों के जिस चरण में होगा उसके लिए प्रबंधन मंडल द्वारा समय–समय पर यूजीसी के निर्देश अनुसार पालन या निर्णय ले सकेगा।

शासी निकाय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के नियम और शर्तें बनायेगा।

4. **आचार संहिता**

सभी कर्मचारी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित नियमों और विनियमों के अनुसार आचरण करेंगे।

5. **भविष्य और निवृत्ति वेतन निधि**

विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभार्थ भविष्य और निवृत्ति वेतन निधि या ऐसी बीमा योजनाएं प्रावधानित करेगा जिन्हे सरकारी नियमों और विनियमों के अनुसार उपयुक्त समझा जाता है।

6. **विवादों की मध्यस्थता**

विश्वविद्यालय तथा इसके प्रशासनिक/गैर प्रशासनिक अधिकारियों अथवा गैर शैक्षणिक स्टाफ के मध्य अनुबंध या उससे संबंधित किसी भी विवाद ,दावे ,अनुबंध भंग,संबंधी मामलों को कर्मचारी अथवा संबंधित व्यक्ति के अनुरोध पर मध्यस्थता के लिए एक अभिकरण को सौंपा जायेगा। जिसमें कुलपति द्वारा नामित एक सदस्य कर्मचारी संबंधित व्यक्ति द्वारा नामित एक सदस्य होंगे। दोनो नामित सदस्य एक अध्यक्ष का चयन करेंगे।

कर्मचारी या व्यक्ति द्वारा किए गए प्रत्येक अनुरोध को मध्यस्थता और समझौता अधिनियम 1996 की उपधारा (1) की शर्तों पर मध्यस्थता करने के लिए समझा जावेगा। अभिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जावेगी।

7. **अपील करने का अधिकार**

विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्रशासनिक और गैर अकादमिक कर्मचारी को विश्वविद्यालय या संस्थान के किसी भी कार्यालय या प्राधिकरण के निर्णय के खिलाफ, कुलपति को निर्धारित समय के भीतर अपील करने का अधिकार होगा, जिस पर कुलपति उचित रूप से निर्णय ले सकता है।

8. **कार्यरत कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान :–**

इस परिनियम की अधिसूचना के समय विश्वविद्यालय में नियमित पद धारण करने वाले कर्मचारी, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अन्य कर्मचारीयो को छोड़ कर इस अधिसूचना पर इस परिनियम के प्रावधानों के तहत नियुक्त किए गए समझा जाएगा।

परिनियम -17

शासी निकाय/प्रबंधन बोर्ड/शैक्षणिक परिषद की स्थायी समितियॉं

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 21 (1)(बी)(सी), 23, 24 और 26 (1)(ए) देखें)

(1) शासी निकाय, प्रबंधन मंडल और शैक्षणिक परिषद कुलपति की अध्यक्षता में स्थायी समितियां बना सकता है।

(2) कुलसचिव इन स्थायी समितियों के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगी।

(3) स्थायी समितियों की बैठक कुलपति के निर्देशों के तहत आवश्यकतानुसार और जब आवश्यक हो आयोजित होगी। स्थायी समिति के सदस्यों में से आधी संख्या से कोरम का निर्माण होगा। स्थगित बैठक हेतु कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

(4) एजेंडा के साथ स्थायी समिति की बैठक के लिए बैठक की सूचना कम से कम तीन दिन पहले सदस्यों को दी जाएगी। हालांकि, स्थायी समितियों क आकस्मिक बैठक को एक घंटे पूर्व सूचना के साथ, जब भी आवश्यक हो, कुलपति द्वारा बुलायी जा सकती है।

(5) उपरोक्त खंड (1) के अलावा सभी प्राधिकरण शासी निकाय के अनुमोदन से उनमें से किसी भी शक्ति को निहित कर सकता हैं।

(6) कुलाधिपति और कुलपति कर्मचारियों की नियुक्तियों (शैक्षणिक और गैर–शैक्षणिक) और उनकी सेवाओं की समाप्ति के अनुमोदन को छोड़कर, उनमें निहित शक्तियां स्थायी समिति में निहित कर सकते हैं परंतु शासी निकाय को ऐसे प्रत्यायोजन को सूचित करना होगा।

(7) कुलाधिपति और कुलपति के अलावा अधिकारी, कुलपति के अनुमोदन के साथ उनमें निहित शक्तियों का निर्वहन कर सकते हैं।

परिनियम -18

मंडल और समितियां

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 21 (1)(बी)(सी), 23, 24 और 26(1)(ए) देखें)

(1) शासी निकाय, प्रबंधन मंडल, अकादमिक परिषद, और संकाय द्वारा मंडल या समितियों का गठन किया जा सकता है जिनमें ऐसे प्राधिकरण के सदस्यो को सदस्य के रूप में रखा जावेगा। ऐसे मंडल या समितियों को ऐसा कोई भी कार्य प्रतिवेदन देने हेतु सौंपा जावेगा जो संबंधित प्राधिकरण उचित समझेगा।

परिनियम -19
परीक्षा समिति

1. विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाए प्रासंगिक अध्यादेशों के अनुसार आयोजित की जाएगी। इस हेतु एक परीक्षा समिति होगी जिसमें निम्न शामिल होंगेः–
   i. चार विभागों के प्रमुख सदस्य के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए ।
   ii. धारा 1(i) में उल्लेखित विभागों के प्रमुखो में से एक को दो वर्ष की अवधि के लिए चक्रीय क्रम में कुलपति द्वारा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा
   iii. दो साल की अवधि के लिए सदस्य के रूप में दो वरिष्ठ संकाय सदस्य।
   iv. परीक्षा नियंत्रक समिति के सदस्य सचिव होंगा।

2. परीक्षा समिति की बैठक उचित प्राधिकारी की अनुशंसा पर आयोजित होगी जिसमें परीक्षा समिति के अध्यक्ष और कुलपति शामिल होंगे।

3. अध्यक्ष सहित समितियो के चार सदस्य बैठक के कोरम को पूरा करेंगे।

4. समिति के सभी सदस्य अपने कार्यकाल के अंत तक या कुलपति के प्रसाद पर्यन्त सदस्यों के रूप में बने रहेंगे।

5. परीक्षा समिति की शक्ति और कार्य निम्नानुसार होंगेः–

   i. उन छात्रों की अंतिम संख्या का निर्धारण जो नियमित/एटीकेटी/पूरक उम्मीदवारों के रूप में आने वाली अगली परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

   ii. सभी विभागों से प्राप्त प्रस्तावित परीक्षा समय सारणी को समेकित करने के बाद परीक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत परीक्षा समय सारणी को अंतिम रूप देना।

   iii. ऐसे प्रश्नपत्र रचयिता, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकनकर्ताओं, परीक्षकों, अधीक्षकों, सहायक अधीक्षकों, और वीक्षको , सारणीकार, और परितुलक के पारिश्रमिक में कटौती को अंतिम रूप देना जिनके द्वारा परीक्षा कार्य में लापरवाही बरती गई है।

   iv. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणामों को जांच करना, एवं स्वयं में यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् परिणामें का अनुमोदन करना कि संपूर्ण तथा विभिन्न विषयों में परीक्षा परिणाम सामान्य के अनुरूप है एवं परिणाम में असंतुलन के मामले में आवश्यक कार्यवाही हेतु कलपति को अनुशंसा करना।

   v. प्रश्न पत्रों के विरूध्द प्राप्त शिकायतों की जांच करना और आवश्यक कार्यवाही करना ।

   vi. अनुचित साधनों के मामलों पर विचार करने और विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार उचित कार्यवाही करने के लिए।

   vii. परीक्षा कक्ष में किसी परीक्षार्थी द्वारा दुर्व्यवहार के मामलों पर विचार करने और विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुसार उचित कार्यवाही करने।

   viii. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष मे परीक्षक ,परीक्षा के नियंत्रक या उसके कार्यालय में नियोजित किसी भी व्यक्ति पर अनुचित लाभ लेने हेतु दबाव की नीति अपनाने की दशा मे ऐसे मामलों पर विचार करना, तथा विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार ऐसे मामलों में उचित कार्यवाही करना।

ix. परीक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत परीक्षकों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए।

x. प्रत्येक लिखित पेपर के लिए प्रश्न पत्र रचयिताओं की नियुक्ति हेतु कुलाधिपति को तीन नामों की सिफारिश करने के लिए।

xi. परीक्षा प्रणाली की गोपनीयता और पवित्रता सुनिश्चित करने के उपायों को विकासित करना।

xii. यदि आवश्यक हो, तो सह–परीक्षक के रूप में नियुक्तियों के लिए शिक्षकों की सूची को अंतिम रूप देने और इसे कुलपति को प्रस्तावित करना।

xiii. परीक्षक विशेषज्ञ के रूप में किसी विषय विशेषज्ञ की पुनः नियुक्ति के लिए अनुशंसा करना यदि उसने लगातार तीन वर्षों तक परीक्षक के रूप में कार्य किया हो।

xiv. परीक्षक की सेवा असंतोषजनक पाये जाने पर अध्यादेश के अनुसार उसकी सेवा समाप्त करने अनुशंसा करना।

xv. विश्वविद्यालय के कुलाधिपति/कुलपति अथवा अकादमिक परिषद द्वारा परीक्षा समिति को सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

6. परीक्षा समिति अपनी अनुशंसा और निर्णय के साथ कुलसचिव को प्रतिवेदन/कार्यवाही विवरण प्रस्तुत करेगा जिसे क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

परिनियम -20
अध्ययन मंडल

(1) प्रत्येक विभाग के लिए अध्ययन मंडल होगा जिसमे निम्न शामिल होंग :–
(अ) विभाग प्रमुख – अध्यक्ष
(ब) संबंधित विभाग के दो शिक्षक
(स) विश्वविद्यालय के अकादमिक/उद्यम के बाहर से अध्ययन मंडल द्वारा मनोनीत और सहयोजित सदस्य के रूप में एक वरिष्ठ शिक्षक।

(कुलपति संबंधित विभाग के प्रमुख/अध्यक्ष की अनुशंसा पर कुछ बाहरी विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकते हैं)
विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का अध्ययन मंडल बाहरी विशेषज्ञो को सहयोग करेगा।

(2) अध्ययन मंडल के सह–चयनित सदस्यों की अवधि तीन वर्ष होगी।
(3) जब तक आवश्यक हो, विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किए जाने वाले विषयों के लिए कुलपति अध्ययन मंडल का गठन कर सकता हैं।
(4) विभागों के विभिन्न पाठ्यक्रमों का विस्तृत पाठ्यक्रम अध्ययन मंडल द्वारा तैयार किया जाएगा और इसकी स्वीकृति और प्रकाशन के लिए अकादमिक परिषद को प्रस्तुत करेगा।
(5) पाठ्यक्रम की सामग्री समय–समय पर अध्ययन मंडल द्वारा संशोधित और अद्यतन की जाएगी और अनुमोदन के लिए अकादमिक परिषद को जमा की जाएगी।
(6) अध्ययन मंडल की बैठकों को वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित किया जाएगा।
(7) अध्ययन मंडल के सदस्यों की कुल संख्या की आधी संख्या से कोरम निर्मित होगा।

परिनियम -21

छात्रों से शुल्क लेने संबंधी प्रावधान

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 26(1)(i) देखें)

(1) विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क प्रबंधन मडलं द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय समय–समय पर, प्रवेश शुल्क, छात्रावास शुल्क, भोजनालय शुल्क, जैसे कपड़े धोने, मुद्रण आदि अन्य सेवाओं के लिए उपयोग शुल्क भी निर्धारित करेगा।

(3) विश्वविद्यालय प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होने से पहले शुल्क के संबंध में छ.ग निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (सी.जी.पी.यू.आर.सी) का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा तथा किसी भी पाठ्यक्रम के लिए शुल्क के संशोधन के प्रस्ताव के मामले में भी आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

परिनियम -22

मानद डिग्रीयों तथा शैक्षणिक विशेष योग्यता प्रदान करना

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 26(1)((जी) देखें)

(1) मानद उपाधि प्रदान करने के सम्बन्ध मैं अकादमिक परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव तैयार किया जायेगा। यह प्रस्ताव कुलाधिपति/कुलपति के नामित और संबंधित संकाय के डीन के समक्ष रखा जायेगा। यदि समिति सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित करेगा की जिस व्यक्ति को मानद डिग्री प्रदान किया जा रहा उसे प्रदान किया जा सकता हैं तभी उस प्रस्ताव को शासी निकाय के समक्ष रखा जायेगा।

(2) यदि शासी निकाय के सदस्यों मैं से कम से कम दो तिहाई सदस्य उस प्रस्ताव के पक्ष मैं हो तभी उसे कुलाधिपति के समक्ष पुष्टि हेतु रखा जा सकेगा। कुलाधिपति, अंतिम मंजूरी के लिए कुलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

परिनियम -23

विश्वविद्यालय में फेलोशिप,छात्रवृत्ति ,मेडल तथा पुरस्कार अवार्ड हेतु कोष का प्रशासन

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 26(1) (एच) देखें)

(1) प्रबंध मंडल आवर्ती की फेलोशिप, स्कॉलरशिप ,मेडल तथा पुरस्कार अवार्ड के प्रदान हेतु अक्षय निधि के सृजन हेतु दान स्वीकार कर सकेगा।

(2) प्रबंध मंडल ऐसी समस्त निधियों का प्रशासक होगा।

(3) अवार्ड वार्षिक उपार्जित आय के बाहर से प्रदाय किए जावेंगे। आय का कोई भी अंश जो उपयोग नही होता हैं तो वह निधि में ही जमा रखा जावेगा –

(अ) प्रबंध मंडल अक्षय निधि को राष्ट्रीयकृत बैंक में रखे जाने संबंधी शर्ते विहित करेगा।

(ब) उक्त अवार्ड संस्थापित किए जाने हेतु आवश्यक मूल्य प्रबंध मंडल निर्धारित करेगा।

(4) अवार्ड की भावना के विरूध्द कोई भी दान स्वीकार नही होगा तथा इस संबंध में दानदाता को हर सम्भव शुभकामनाए प्रेषित किया जावेगा।

(5) निर्दिष्ट निधि हेतु निर्मित नियमों/अध्यादेशों के अनुसार प्राप्तकर्ता को प्रदान किए जाने वाले फेलोशिप/स्कॉलरशिप/मेडल व पुरस्कारों की सूची का अनुमोदन शासी निकाय द्वारा किया जावेगा।

परिनियम क्रमॉक–24

आरक्षण नीति

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 26(1)(i) ,26(1)(ए) देखें)

(1) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के लिए सभी पाठ्यक्रमों के लिए कम से कम 50% सीटें आरक्षित करेगा, और राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में लागू राज्य सरकार की प्रचलित आरक्षण नीतियों का और राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय से की गई कोई विशिष्ट प्रतिबद्धता का पालन करेगा।

यदि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी/महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आरक्षित सीटें उनकी गैर–उपलब्धता के कारण रिक्त रहती हैं, तो प्रावीण्यता के आधार अन्य छात्रों द्वारा भरा जाएगा।

परिनियम क्रमॉक–25

विभिन्न विषयो/पाठ्यक्रमो में सीट संख्या

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 26(1)(के) देखें)

(1) अकादमिक वर्ष के प्रत्येक पाठ्यक्रमो के लिए उपलब्ध सीटो की संख्या प्रबंधम मंडल, अकादमिक परिषद, अकादमिक नीति समिति और नियामक संस्था के साथ उपयुक्त निर्धारण कर सकता है।

(2) विश्वविद्यालय प्रत्येक पाठ्यक्रमो/विषयों के लिए सीटों की संख्या के निर्धारण के संबंध में सीजी. पीयू.आर.सी से पूर्वानुमोदन लेगा।

देव संस्कृति विश्वविद्यालय,दुर्ग (छ.ग.)
अध्यादेश क्रं 01
छात्रों का प्रवेश और नामांकन

1. **प्रयोज्यता**

यह अध्यादेश स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र के लिए अग्रसरित सभी कार्यक्रमों पर लागू होगा। विशेष कार्यक्रम/पाठयक्रम में प्रवेश से संबंधित विशिष्ट बिंदुओं का उल्लेख संबंधित अध्यादेश में किया जाएगा।

2. **परिभाषाएं**

(i) "अर्हकारी परीक्षा" का अर्थ है एक परीक्षा जिसके माध्यम से छात्रों को अध्ययन के एक विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए छात्रो की योग्यता की जॉच की जाती है। विशेष पाठ्यक्रमो के अंर्तगत स्नातक या स्नातकोत्तर या एम फिल का उपाधि अर्जित होती है। विश्वविद्यालय द्वारा डाक्टरेट डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदाय किए जाते है।

(ii) "समतुल्य परीक्षा" का अर्थ है ।

(अ) माध्यमिक शिक्षा के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या

(ब) यूजीसी या/और एआईसीटीई या संबंधित वैधानिक प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय या संगठन द्वारा आयोजित परीक्षा को विश्वविद्यालय अपनी संबंधित परीक्षा के बराबर मानता है।

(iii) "गैप अवधि" का मतलब है कि एक नियमित छात्र के रूप में विगत शैक्षणिक संस्थान (कोचिंग संस्थानों को छोड़कर) में किए गए पाठ्यक्रम में उल्लिखित उपस्थिति की अंतिम तिथि और विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की तिथि के बीच की अवधि।

3. **प्रवेश के लिए पात्रता**

1. जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, प्रार्थी विश्वविद्यालय में स्नातक या स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नही होंगे जब तक प्रार्थी न्यून्तम उत्तीर्णता अंको ,जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित हो , किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली गई हो साथ ही विश्वविद्यालय या अधिकृत संबंधित संस्थान द्वारा योग्यता परीक्षा या प्रवेश परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में प्रावीण्यता के आधार पर ।
2. किसी भी प्रार्थी को स्नातकोत्तर या स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में भर्ती नहीं किया जाएगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अंको के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की यूजी स्नातक उपाधि अन्य उत्तीर्ण परीक्षा या अकादमिक परिषद द्वारा डिग्री के बराबर मान्यता प्राप्त किसी भी परीक्षा तथा अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जाने वाली अन्य कोई योग्यता रखता हो।
3. विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को अकादमिक परिषद द्वारा एवं समय–समय पर प्रास्पेक्टस में प्रकाशित निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा।

4. प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों की अधिकतम संख्या का निर्धारण शैक्षिक परिषद द्वारा पर्याप्त भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता एवं जहॉ की आवश्यक हो विभिन्न सांविधिक निकायों, जैसे यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, पीसीआई, बीसीआई, एमसीआई, आईएनसी, तथा सीजीपीयूआरसी से अनुमोदन के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

5 प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों का एक निश्चित अनुपात छत्तीसगढ़ राज्य के निवासीयो हेतु प्रावीण्यता के आधार पर, प्रवेश हेतु निर्धारित है, बशर्ते वे प्रवेश के लिए योग्यता मानदंडों को पूरा करें। ऐसी सीटों की संख्या राज्य सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार /शासी निकाय द्वारा निर्धारित की जाएगी। यदि आवंटित राज्य कोटे की सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो इसे सामान्य श्रेणी सीटों में परिवर्तित किया जा सकता है।

6 प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों को पूर्ण करने के लिए, राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जावेगा।

7 आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित सीटों के प्रत्येक श्रेणी की प्रतीक्षा सूची समाप्त होने के बाद भी रिक्त रह जाने पर खुली सीट में परिवर्तित किया जा सकता है।

4. <u>प्रवेश के लिए प्रावधान</u>

1 प्रवेश प्रक्रिया का अनुमोदन अकादमिक परिषद् द्वारा राज्य शासन के मार्गदर्शन के अनुसार की जावेगी।

2 स्नातक व स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में प्रवेश यूजीसी और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अकादमिक परिषद की उचित स्वीकृति के साथ शासी निकाय द्वारा तैयार प्रवेश नीति के आधार पर किया जाएगा।

3 प्रत्येक सेमेस्टर /अकादमिक वर्ष की शुरुआत में या समय–समय पर अकादमिक परिषद द्वारा निर्धारित अनुसार प्रवेश की पेशकश की जाएगी।

4 प्रवेश के लिए आवेदन, पत्र के साथ निम्न संलग्न होना चाहिए–

(i) विगत शैक्षणिक संस्था के प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्कूल या कॉलेज छोड़ने संबंधि स्थानांतरण प्रमाणपत्र जहॉ प्रार्थी नियमित छात्र के रूप मे अध्ययनरत रहा।

(ii) अंकसूची की सत्यापित/स्वंय सत्यापित अंकसूची तथा मूल अंकसूची तथा जिसे सत्यापन पश्चात् वापस कर दिया जावेगा। संलग्न हो जिसके आधार पर वह अगली परीक्षा मे प्रवेश चाहता है। अर्हकारी परीक्षा स्वाध्यायी छात्रो के रूप में उत्तीर्ण किए जाने की की दिशा में उसे दो राजपत्रित अधिकारी एवं प्रतिष्ठित नागरिको द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
यदि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या इस विश्वविद्यालय के अलावा किसी अन्य विश्वविद्यालय से योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, तो वह स्कूल या कॉलेज छोड़ने के प्रमाण पत्र के अलावा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ,एक योग्यता और माइग्रेशन सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवासन शुल्क के साथ प्रस्तुत करेगा। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई भी जाली, छेड़छाड किया गया या गलत पाया जाता है, तो छात्र का प्रवेश स्वयंमेव रूप से रदद्– हो जाएगा और उसके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती हैं।

5 आवेदक अपना प्रवेश आवेदन पत्र सीधे/काउंसिलिंग/मार्गदर्शन केंद्र/पोस्ट/ऑनलाइन के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। कोई भी भारतीय या विदेशी प्रवेशार्थी इस संबंध में ऑनलाईन संपर्क कर सकते हैं।

6 प्रवेश समिति आवेदनों को स्क्रूटनी करेगी और प्रवेश नीति के प्रावधानों के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की अस्थायी प्रवेश दिया जावेगा प्रवेश सूची नोटिस बोर्ड के साथ–साथ विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावेगी।

7 प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र और उसके माता–पिता या कानूनी अभिभावक को इस आशय के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी कि छात्र स्वयं को कुलपति और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के अनुशासनात्मक एवं अन्य संबंधित अधिकारिता के अधीन स्वयं को रखेगा।

8 एक छात्र, जिसने किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त निकाय से किसी भी डिग्री या डिप्लोमा का हिस्सा उत्तीर्ण किया है, को इस तरह की परीक्षा के लिए बाद के उच्च कक्षा में प्रवेशित कराया जाएगा, परंतु इसके पूर्व उसकी विगत अर्हकारी परीक्षा की समतुल्यता का निश्चयन संकाय के डीन द्वारा उसके विभागाध्यक्ष से परामर्श कर निर्धारित किया जावेगा।

9 छात्रों का प्रवेश हर साल प्रत्येक सेमेस्टर के शुरू होने से पहले या समन्वय समिति द्वारा तय की गई तारीख से पहले पूरा किया जाएगा।

10 बशर्ते कि निर्दिष्ट तिथि या प्रवेश की अंतिम तिथि के रूप में अकादमिक परिषद द्वारा तय की गई तारीख छुटट्ी हो, अगले कार्य दिवस को प्रवेश की अंतिम तिथि माना जाएगा।

11 सर्टिफिकेट डिप्लोमा/यूजी/पीजी/एमफिल को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि जिसके लिए नामांकन विश्वविद्यालय के शैक्षणिक नियमों मे परिभाषित के रूप में सीमित किया जावेगा।

12. किसी भी पाठ्यक्रम में किसी छात्र को प्रवेश उस योग्य पाठ्यक्रम में रिक्त सीट की उपलब्धता के अधीन होगा जिसमें प्रावीण्यता के आधार पर प्रवेश की मांग की जाती है।

13. एक उम्मीदवार जिसे किसी भी पाठ्यक्रम में गलत तरीके से प्रवेश दिया जाने पर विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में उसके अधिकार समपहरित कर दिया जावेगा और उसे विश्वविद्यालय की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14. एक उम्मीदवार जिसे किसी अन्य विश्वविद्यालय /संस्थान द्वारा परीक्षा में भाग लेने से अयोग्य घोषित किया गया है,उसे इस विश्वविद्यालय में निलंबन या अयोग्यता की अवधि के दौरान अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम में भर्ती नहीं किया जाएगा।

15. विश्वविद्यालय में नामांकित कोई भी छात्र किसी भी उच्च श्रेणी के पाठ्यक्रम में पदोन्नत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह इस संबंध में अकादमिक परिषद द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार मानदंडों को पूरा न करे।

16 किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से माइग्रेट करने वाला कोई भी छात्र विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में भर्ती नहीं किया जाएगा जब तक कि वह शासी निकाय द्वारा निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णता अंकों के साथ योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है।

17 उपरोक्त उप–धारा 16 में निहित प्रावधान के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से माइग्रेट करने वाला कोई भी छात्र विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में भर्ती नहीं किया जाएगा

18 छात्र जो किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से डिग्री या स्नातकोत्तर परीक्षा का भाग उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन्हें विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में ऐसी परीक्षा के बाद की उच्च कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा जब वह उच्च कक्षा के लिए योग्यता शर्तों को पूरा करे तथा वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा तदाशय का पात्रता प्रमाण पत्र उपलब्ध करता हो।

19 संबंधित नियामक निकायों के मापदंडों के अनुसार पार्श्व प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

5. <u>छात्रों का नामांकन</u>

1 संकाय के डीन/केंद्र के निदेशक समय–समय पर अकादमिक परिषद द्वारा निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक मूल दस्तावेजों और नामांकन शुल्क के साथ प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद निर्धारित समय के भीतर निर्धारित प्रारूप में प्रवेश प्राप्त छात्रों के विवरण कुलसचिव रजिस्ट्रार के पास जमा करेंगे तथा वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करेंगे।

2 प्रवेश के समय छात्रों द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण और प्रवासन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय की संपत्ति बन जाएंगे।

3 नामांकित छात्रों को विश्वविद्यालय छोड़ने के समय विश्वविद्यालय की मुहर के तहत नया ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

4 किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में भर्ती नहीं किया जाएगा जब तक उसे विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में नामांकित नहीं किया जाता है।

5 यदि कोई छात्र किसी अन्य विश्वविद्यालय में शामिल होने के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेता है, तो विश्वविद्यालय में उसका नामांकन उस समय तक समाप्त हो जाएगा जब वह बाद में विश्वविद्यालय के कुछ पाठ्यक्रमों में शामिल होने के लिए उस विश्वविद्यालय से माइग्रेशन सर्टिफिकेट के साथ लौटता है। ऐसे मामलों में नया नामांकन और नामांकन शुल्क आवश्यक होगा।

6 रजिस्ट्रार विभिन्न संकाय या स्कूलों में पढ़ाई या विश्वविद्यालय में शोध कार्य करने वाले सभी नामांकित छात्रों का रिकार्ड बनाए रखेगा।

7 छात्रों को आवंटित नामांकन संख्या सूचित की जाएगी और उस संख्या को उनके परीक्षा अनुप्रयोग में छात्र द्वारा विश्वविद्यालय से सभी संचार में उद्धृत किया जाएगा।

6. <u>प्रवेश समिति</u>

1 विश्वविद्यालय में प्रवेश को विनियमित करने के लिए प्रत्येक संकाय /विभाग में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम एम.फिल और पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए कुलपति द्वारा एक प्रवेश समिति गठित होगी।

2 समिति होगी जो :

(i) समय–समय पर अकादमिक परिषद द्वारा निर्धारित प्रवेश की शर्तों के अनुसार उम्मीदवार के प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों की जांच करेगी।

(ii) प्रवेश परीक्षाओं और/या साक्षात्कार आयोजित करेगी या अन्यथा अकादमिक परिषद द्वारा निर्देशित अनुसार।

(iii) योग्यता परीक्षा/प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्यता सूची तैयार करेगी जैसा भी मामला हो।

(iv) विश्वविद्यालय में प्रवेश के मापदंडों के आधार पर अस्थायी प्रवेश के लिए चुने गए उम्मीदवारों की एक सूची समिति के अध्यक्ष द्वारा तैयार की जावेगी।

(v) समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि संबंधित श्रेणी के छात्रों के प्रवेश के लिए नियम, शर्तें और प्रावधानों को तथा राज्य आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन किया गया है।

7. <u>प्रवेश के लिए प्रतिबंध</u>

(i) कोई भी छात्र दो नियमित डिग्री पाठयक्रमों में एक साथ भर्ती नहीं किया जाएगा।

(ii) जब तक अन्यथा उपबंधित न हो कोई छात्र, तब तक अंशकालिक या दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल हो सकते हैं बशर्ते वह इस उदेश्य हेतु निर्धारित प्रकिया के अनुसार पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हो।

(iii) विश्वविद्यालय के एक ही पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के बाद उसी पाठ्यक्रम में किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि, उसे उसी संकाय के उच्च पाठ्यक्रम में या एक ही स्तर पर एक अलग क्षेत्र में अतिक्ति डिप्लोमा/डिग्री के लिए भर्ती कराया जा सकता है बशर्ते वह पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हो।

(iv) विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबित, वंचित, निष्कासित कोई भी छात्र आदि को छोड़ दिया गया कोई भी किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश का दावा करने से प्रतिबंधित होगा।

(v) विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। यदि उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी झूठी/गलत पायी जाती है।

(vi) एक उम्मीदवार, जिसने पूर्णकालिक नियमित छात्र के रूप में किसी भी पाठ्यक्रम में अपनी पहचान छुपाकर गलत तरीके से प्रवेश लिया है, विश्वविद्यालय में पूर्व छात्र के रूप उसके अधिकार को समपहरित कर लिया जा सकेगा तथा भूतपूर्व छात्र के रूप मे किसी भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(vii) एक व्यक्ति जो कि किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा परीक्षा में भाग लेने से अयोग्य घोषित किया गया है या उसे अयोग्य घोषित किया गया है, उसे इस विश्वविद्यालय में निष्काषन या अयोग्यता की अवधि के दौरान अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम में भर्ती नहीं किया जाएगा।

(viii) किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से आव्रजित छात्र को विश्वविद्यालय के किसी संस्थान में किसी भी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय के छात्र के लिए अर्हकारी परीक्षा के यथा समतुल्य विश्वविद्यालय द्वारा उत्तीर्ण घोषित नही मान लिया जावे

(ix) उपरोक्त उपखंड 2(v) में निहित प्रावधान से प्रतिकूलता के बिना, किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से माइग्रेट करने वाले कोई भी छात्र रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी विभाग

में किसी भी वर्ग में प्रवेशित नहीं किए जाएंगे, जहां किसी भी सामान्य या विशेष निर्देश द्वारा से ऐसी अनुमति आवश्यक है।

(x) स्नातक की डिग्री/ऑनर्स पाठयक्रम की ओर अग्रसर पाठयक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक विशेष डिग्री/ऑनर्स परीक्षा के लिए निर्धारित सभी विषयों में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होता है।

(xi) कोई भी छात्र जो किसी अन्य विश्वविद्यालय से डिग्री या स्नातकोत्तर परीक्षा का हिस्सा उत्तीर्ण कर चूका है, उसे सक्षम प्राधिकारी से योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना विश्वविद्यालय की ऐसी परीक्षा के लिए बाद के उच्च वर्ग में भर्ती नही कराया जाएगा।

(xii) माता–पिता/अभिभावकों के स्थानांतरण या किसी अन्य वास्तविक कठिनाई के कारण अन्य विश्वविद्यालयों से स्थानांतरण पर आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की तारीख के बाद भी प्रवेश दिया जा सकता है।

8. <u>नाम का परिवर्तन</u>

(i). नामांकन रजिस्टर में अपना नाम परिवर्तित करने के लिए आवेदन करने वाला एक छात्र अपने आवेदन को निम्नलिखित के साथ विभाग के प्रमुख के माध्यम से रजिस्ट्रार को जमा करेगा।

(अ) निर्धारित शुल्क के लिए डिमांड ड्राफ्ट/नकदी

(ब) अपने वर्तमान और प्रस्तावित नाम से संबंधित हलफनामे, एक मजिस्ट्रेट के समक्ष में या माता–पिता/अभिभावक (यदि नाबालिग) द्वारा या एक मजिस्ट्रेट नोटरी के समक्ष शपथ ली गई है, यदि वह वयस्क है तो स्वयं द्वारा शपथ ली गई हो।

(स) समाचार पत्र में नाम के प्रस्तावित परिवर्तन के प्रकाशन का साक्ष्य। हालांकि, यह किसी महिला उम्मीदवार को अपने विवाह के बाद इस तरह के परिवर्तन की मांग करने पर लागू नहीं होगी। प्रत्येक मामले में रजिस्ट्रार कुलपति से अनुमोदन प्राप्त करेगा।

9. <u>विषय का परिवर्तन</u>

(i) एक छात्र को ,आमतौर पर एक पाठ्यक्रम के वैकल्पिक/सहायक/ विशेषज्ञता विषय को बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है, जब तक कि प्रवेश की तारीख से 4 सप्ताह के भीतर उसके द्वारा आवेदन न किया गया हो ।

10. <u>अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का प्रवेश</u>

1 अकादमिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश और मार्गदर्शन संबंधी प्रकरणों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र सेल स्थापित कर सकती है। यह सेल न केवल छात्रों के प्रवेश को नियंत्रित करेगा बल्कि प्रवेश सुरक्षित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और परामर्श भी प्रदान करेगा।

2 <u>अंतर्राष्ट्रीय छात्र :–</u>

अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(अ) विदेशी छात्र भारतीय मूल विदेशी नागरिको सहित विदेशी राष्ट्रो द्वारा जारी वैध पासपोर्ट रखने वाले छात्रों को विदेशी राष्ट्रो की राष्ट्रीयता हासिल करने वाले विदेशी छात्रों के रूप में माना जाएगा।

(ब) अनिवासी भारतीय (एनआरआई):

केवल में अनिवासी भारतीय छात्रों जिन्होंने विदेशी राष्ट्रो में स्कूलों या कॉलेजो में अध्ययन किया और योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण किया है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रूप में माना जाएगा। इसमें बोर्डों से संबद्ध होने के बावजूद विदेशी राष्ट्रो में स्थित स्कूलों या कॉलेजो में पढ़ रहे छात्रों को भी शामिल किया जाएगा । लेकिन भारत में स्थित स्कूलों या कॉलेजो में पढ़ रहे जो विदेशी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या विदेशी विश्वविद्यालयों से शामिल नहीं करना चाहिए। विदेशी छात्रों और आश्रितों या भारत में पढ रहे एनआरआई के रूप में विदेशी राष्ट्रो में स्थित बोर्डों या विश्वविद्यालयों से योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र को अंतरराष्ट्रीय छात्रों के रूप में नहीं माना जाएगा। अंतरराष्ट्रीय छात्रों की प्रवेश स्तर की स्थिति देश मे प्रवेश पर बनाए रखी जाएगी।

3 <u>अंतरराष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज</u>

(अ) वीजाः सभी अंतरराष्ट्रीय छात्रों को पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए इस विश्वविद्यालय के लिए अनुमोदित छात्र वीजा की आवश्यकता होगी। एक शोध कार्यक्रम में शामिल होने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार को इस विश्वविद्यालय के लिए एक

शोध वीजा की आवश्यकता होगी। वीजा पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि के लिए मान्य होना चाहिए। एनआरआई उम्मीदवारों के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है। छात्र, जो पूर्णकालिक पाठ्यक्रम कर रहे हैं, को किसी अन्य संस्थान में अंशकालिक पाठ्यक्रमों में शामिल होने के लिए अलग वीजा की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते उनका वर्तमान वीजा पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए मान्य है।

(ब) अनापत्ति प्रमाण पत्रः
सभी अंतरराष्ट्रीय छात्र कोई शोध कार्य शुरू करने या पीएचडी में शामिल होने की इच्छा रखते हैं या एम.फिल कार्यक्रमों करना चाहते है को गृह मंत्रालय या विदेश मामलों के मंत्रालय से पूर्व सुरक्षा अनुमोदन और माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अनुमोदन प्राप्त करनी होगी और अनुसंधान वीजा पर पृष्ठांकन होना चाहिए साथ ही यह रिसर्च वीसा विश्वविद्यालय को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

(स) समय–समय पर आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज।

4 <u>अहर्ता :</u>

(i) केवल छात्र जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों या उच्च शिक्षा बोर्ड से योग्यता प्राप्त की है, वे भारतीय विश्वविद्यालयों (एआईयू) एसोसिएशन के दिशानिर्देशों के अनुसार अकादमिक परिषद के द्वारा समकक्षता मान्यता दी गई है प्रवेश के लिए पात्र होंगे। किसी भी पाठ्यक्रम में या किसी भी पाठ्यक्रम के समकक्षता में अर्हता प्राप्त करने वाले छात्र एआईयू को संदर्भित किए जाएंगे, जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(ii) अंतरराष्ट्रीय छात्रों के प्रकरण आवश्यक होने पर लिए प्रवेश की प्रकिया इस संबंध में अकादमिक परिषद द्वारा तैयार विनियम के अनुसार होगी।

5 <u>भारत सरकार स्कॉलर्स</u>

अंतरराष्ट्रीय छात्रों जिनको भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर), द्वारा छात्रवृत्ति से सम्मानित किया जाता है, उन्हें प्रवेश और छात्रावास में आवास सुविधा हेतु प्राथमिकता दिया जाएगा। प्रशिक्षण, अध्ययन और अनुसंधान के लिए विभिन्न विदेशी सरकारों के प्रायोजित उम्मीदवारों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

6 <u>अनुशासन</u>

अंतरराष्ट्रीय छात्र विश्वविद्यालय के नियमों और आचरण संहिता का पालन करेंगे जो भारतीय छात्रों के लिए समान पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित हैं।

7 <u>अध्यापन का माध्यम</u>

विश्वविद्यालय में अध्यापन का माध्यम उन विषयों को छोड़कर अंग्रेजी और हिंदी होगा, जिन्हें विशिष्ट भाषा की आवश्यकता होती है।

देव संस्कृति विश्वविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)

अध्यादेश कं 02

स्नातक/स्नातकोत्तर/स्नातक डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए सेमेस्टर तथा परीक्षा आयोजन एवं मूल्यांकन के संबंध में नियम

1. **प्रभावशीलता : –**

यह अधिनियम समस्त शैक्षणिक कार्यक्रमों जिनमें स्नातक/स्नाकोत्तर उपाधि ,स्नातक/स्नातकोत्तर डिप्लोमा जो सभी सेमेस्टर पध्दति से संचालित है, (ऐसे पाठ्यक्रम जिनके लिए अलग से अध्यादेश अधिसूचित है) पर लागू होगा।

2. **परिभाषाएँ : –**

(1) "शैक्षणिक कार्यक्रम" से अभिप्रेत है स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि,स्नातक/स्नातकोत्तर डिप्लोमा ,एम.फिल. ,पी.एच.डी. अथवा प्रमाण पत्र हेतु अग्रसरित कोई भी पाठ्यक्रम।

(2) "सेमेस्टर प्रणाली" से अभिप्रेत है, कार्यक्रम जिसके अर्तगत प्रत्येक शिक्षा सत्र दो भागो मे बॉटा जाता है, जिनमें सामान्यतया प्रत्येक छःमाही की अवधि का होता है, जिसके अंर्तगत अध्यापन ,प्रशिक्षण व इंटर्नशिप आदि सम्मिलित है।

(3) "अध्ययन मंडल " से अभिप्रेत है संबंधित संकाय/स्कूल का अध्ययन मंडल।

(4) "पाठ्यक्रम " से अभिप्रेत शैक्षणिक कार्यक्रम के उस भाग से है जिसके लिए एक पृथक कूट–संख्या होती है तथा जिस पर क्रेडिट संख्या निर्धारित होती है।

(5) "बाह्य परीक्षा " से अभिप्रेत वह परीक्षक जो विश्वविद्यालय में नियोजित (इम्पलोयड) नही है।

(6) "छात्र " वह व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम में जिस पर यह अधिनियम लागू है, विश्वविद्यालय के किसी संस्थान/स्कूल में प्रवेश प्राप्त है।

3. **परीक्षाएँ :–**

(1) विश्वविद्यालय अपने समस्त शैक्षणिक कार्यक्रम जो शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित है के अंर्तगत स्नातक/ स्नातकोत्तर (उपाधि/डिप्लोमा) कार्यक्रम ,पी.एच.डी. , एम.फिल. (जैसी भी स्थिति हो) के लिए परीक्षाओं का आयोजन शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित व निर्धारित अध्ययन व परीक्षाओं तथा पाठ्यक्रम की योजना के अनुसार करेगा।

(2) विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ नियमित छात्रों के लिए होंगी अर्थात् विश्वविद्यालय की अध्ययन व परीक्षा तथा पाठ्यक्रम की निर्धारित योजना के अंर्तगत जिसके द्वारा किसी अध्ययन पाठ्यक्रम के अंर्तगत निश्चित समयावधि के पाठ्यक्रम को नियमित छात्र के रूप में पूर्ण किया हो।

(3) यह भी कि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद् किसी विशिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रम हेतु आयोजित परीक्षा में किसी भी अन्य श्रेणी के उम्मीदवार को प्रवेश की अनुमति देगी बशर्ते कि उसके द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निर्धारित शर्तों की पूर्ति की जावे। यह भी कि छात्र को अंतिम सेमेस्टर परीक्षा से इस अधिनियम की कंडिका–8 के प्रावधानों अथवा अन्य किसी अधिनियम के प्रावधानों के अंर्तगत वंचित रखा जा सकेगा।

4. कार्यक्रम विवरण व अवधि :–

(1) स्नातक व स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र कार्यक्रम के अंर्तगत शैक्षणिक परिषद् के अनुमोदन के अनुसार अध्ययन व परीक्षा तथा पाठ्यक्रम योजना में बहुत से पाठ्यक्रम तथा/अथवा अन्य विषयवस्तु समाविष्ट होंगे।

(2) कार्यक्रम पूर्णता की न्यूनतम अवधि अध्यापन एवं परीक्षा योजना तथा संबंधित कार्यक्रम हेतु पाठ्यक्रम में यथा विनिर्दिष्ट काग्रक्रम अवधि होंगी।

(3) कार्यक्रम पूर्णता की अधिकतम अनुमत अवधि इस संबंध में शैक्षणिक परिषद् द्वारा विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट अवधि होगी।

5. सेमेस्टर :–

(i) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष दो भागों में विभाजित होगा। जिनमें से प्रत्येक की कार्यशील अवधि 23 सप्ताह होगी।

(ii) विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा एवं मूल्यांकन केलेंडर प्रत्येक सत्र हेतु शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में घोषित किया जावेगा।

(iii) शिक्षण कार्य हेतु समर्पित प्रत्येक सेमेस्टर का विवरण निम्न होगा :–

अ– शिक्षण कार्य (क्लास टेस्ट सहित)/प्रायोगिक कार्य	––19 सप्ताह
ब– परीक्षा एवं तैयारी अवकाश/ प्रयोगशाला कार्य	–– 01 सप्ताह
स– सेमेस्टर परीक्षा /प्रायोगाशाला कार्य	–– 03 सप्ताह

6. आंतरिक परीक्षा अंको की प्रस्तुति :–

सेमेस्टर परीक्षाक के कम से कम 10 दिन पूर्व परीक्षा
नियंत्रक के समक्ष असाइनमेंट ,क्लास टेस्ट के परणिाम व उपस्थिति का विवरण प्रस्तुत किया जावेगा। क्लास–टेस्ट, असाइनमेंट पास्थिति पर आंतरिक अंक विहित मान्यता के अनुसार दिए जावेंगे।

7. विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रवेश :–

(i) विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सभी विद्यार्थीयों को परीक्षा नियंत्रक को निर्धारित प्रारूप में परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषण अधिकारी के माध्यम से प्रषित करेंगे।

(ii) परीक्षा नियंत्रक द्वारा परीक्षा प्रवेश हेतु प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की स्कूटनी ,हेतु नामांकन पंजी का संदर्भ करेंगे। ऐसे आवेदन जा किसी भी आधार पर अपूर्ण है , को अस्वीकृत कर दिया जावेगा। परीक्षा नियंत्रक द्वारा अतिरिक्त सूचनाएँ मंगाई जावेगी, जो संतोषजनक होने की स्थिति में आवेदित परीक्षा में संबंधित आवेदक को परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुमति दी जा सकती है।

(iii) नियमित छात्रों के परीक्षा आवेदन अग्रेषण अधिकारी निम्न प्रमाणित करेगा :–

(अ) यह कि आवेदक आगामी परीक्षा में प्रविष्ट होने के योग्य है। (ब)उम्मीदवार उपस्थिति आवश्यकता को पूर्ण करता है तथा उसने निर्धारित अवधि के नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययन किया है

(स) उसका चरित्र/व्यवहार संतोषजनक है।

(iv) परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र प्रस्तुतति हेतु निर्धारित शुल्क सहित जो कि नियमित व भूतपूर्व छात्रों के लिए पृथक–पृथक है, प्रस्तुत किए जावेंगे।

(v) परीक्षा नियंत्रक /कुलसचिव उम्मीदवार को विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि के 7 दिवस के भीतर परीक्षा फीस एवं विहित विलंब शुल्क के साथ सेमेस्टर परीक्षा आवेदन पत्र जमा करेन की अनुमति दे सकेंगे।

(vi) एटीकेटी के परीक्षार्थी ,परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव को अपना परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषण अधिकारी के माध्यम से प्रषित करेंगे।

(vii) द्वितीय एटीकेटी के पात्र परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र नियमित सेमेस्टरांत परीक्षा प्रारंभ से 30 दिनों के भीतर अग्रषण अधिकारी के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में पहुॅच जाना चाहिए जिसमें निम्न स्पष्ट हो :–

(अ) विषय/विषयों जिसमें वह परीक्षा में प्रविष्ट होना चाहता है।

(ब) उसे पूर्व की परीक्षा में प्रवेश दिया गया था तत्संबंधी साक्ष्य।

(स) एक भूतपूर्व छात्र को उन्ही विषयों में ऐसी परीक्षा में प्रविष्ट होना होगा जिनमें उसे नियमित विद्यार्थी के रूप में पूर्व में अवसर दिया गया था बशर्ते कि परीक्षा योजना पूर्ववत रहे/परीक्षा या पाठ्यचर्या की योजना को एक भाग बंद होने पर उसके द्वारा प्रश्न पत्र/विषय का विकल्प प्रस्तावित किया जावेगा जिस पर विश्वविद्यालय द्वारा अनुमति दी जा सकती है।

(द) भूतपूर्व छात्र विश्वविद्यालय द्वारा चिन्हित परीक्षा केंद्र से परीक्षा में प्रविष्ट होगा।

(viii) विश्वविद्यालय की परीक्षा में नियमित विद्यार्थी प्रविष्ट हो सकेगा यदि :–

(अ) वह नियमित विद्यार्थी के रूप में विश्वविद्यालय के अधिनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार नामांकित है।

(ब) उसके द्वारा अध्ययन पाठ्यक्रम नियमित विद्यार्थी के रूप में पूर्ण किया गया है तथा वह आवेदित परीक्षा हेतु आवश्यक न्यूनतम योग्यता रखता है।

(स) वह उसे लागू अन्य समस्त प्रावधानों जो चाहे इस अधिनियम के हो या किसी अन्य अधिनियम में प्रवेश से लेकर संबंधित परीक्षा के हों, को संतुष्ट करता है।

(ix) जहॉ उम्मीदवार परीक्षा अध्यादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार परीक्षा हेतु अतिरिक्त विषय का प्रस्ताव करता हैं वहॉ भी न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता लागू होगी।

(x) नियमित पाठ्यक्रमों के संबंध में उपस्थिति की गणना निम्न प्रकार होगी :–

(अ) शैक्षणिक सत्र में व्याख्यानों व प्रायोगिक/क्लीनिकल/सत्रीय कालखण्डों में उपस्थिति।

(ब) उसकी उच्च कक्षा में उपस्थिति की गणना उसके लिए निम्न कक्षा में परीक्षा की पात्रता निर्धारण हेतु प्रतिशत रूप में की जावेगी जिस कक्षा द्वितीय एटीकेटी/पूरक परीक्षा में अनुतीर्ण रहने के कारण वह अवनत हुआ।

(xi) परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी को प्रवेश तब तक नही दिया जावेगा जब तक वह परीक्षा केंद्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा प्रवेश पत्र की मांग करने पर परीक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया जाता। अधीक्षक/वीक्षक द्वारा प्रवेश पत्र मांग करने पर परीक्षार्थी को प्रस्तुत करना होगा।

8. शैक्षणिक पाठ्यक्रम समिति :–

(1) प्रत्येक संकाय /अध्ययन शाला/ केंद्र में एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम समिति होगी।

(2) सकाय/ अध्ययन शाला/केंद्र के समस्त प्राध्यापक/शिक्षक समिति में होंग तथा संबंधित अधिष्ठाता उसके अध्यक्ष होंगे। समिति प्रत्येक शैक्षणिक कार्यक्रम के संसाधनों का आदर्शतम प्रयोंग कर परीक्षा व मूल्यांकन कार्य सुनिश्चित करेगी।

(3) समिति संकाय अधिष्ठाता व अध्ययन मंडल द्वारा सौंपे गए को भी संपन्न करने हेतु शैक्षणिक पाठ्यक्रम समिति उत्तरदायी होगी।

(4) शैक्षणिक पाठ्यक्रम समिति

9. परीक्षा शुल्क :–

कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुमोदन से निर्धारित परीक्षा शुल्क संबंधी सूचना विद्यार्थियों हेतु अधिसूचित करेंगे। ऐसे छात्रों को परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुमति नही होगी जिनके द्वारा परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व परीक्षा शुल्क का भुगतान नही किया गया है।

10. उपस्थिति :–

(1) एक नियमित छात्र की परीक्षा में प्रवेश हेतु न्यूनतम 75 प्रतिशत या अधिक की उपस्थिति होनी चाहिए जैसा कि शैक्षणिक परीषद् द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

(2) कम उपस्थिति के कारण रोके गए छात्रों की आगामी सेमेस्टर कक्षा में उन्नत नही किया जावेगा। ऐसे छात्रों की पुनः प्रवेश प्राप्त कर संबंधित सेमेस्टर के समस्त पाठ्यक्रम की आगामी बेच के छात्रों के साथ पुनरावृत्ति करनी होगी।

(3) संकाय/स्कूल अधिष्ठाता, ऐसे समस्त छात्रों के नामों की घोषणा करेंगे जो सेमेस्टर अंत परीक्षा में प्रविष्ट होने योग्य नही है। ऐसी घोषणा सेमेस्टर परीक्षा के प्रारंभ होने पूर्व की जावेगी तथा उसकी सूचना परीक्षा नियंत्रक को देनी होगी। यदि ऐसा काई छात्र परीक्षा बैठ चूका है तो ऐसी स्थिति में उसका परीक्षा परिणाम शून्य घोषित किया जावेगा।

11. मूल्यांकन एवं परीक्षा :–

(i) पाठ्यक्रम का संपूर्ण अधिभार तथा शिक्षण एवं परीक्षा योजना का निर्धारण क्रेडिट्स/अंको के अध्यधीन हेागा ।

(ii) यदि शिक्षण एवं परीक्षा योजना तथा पाठ्यचर्या में अन्यथा कथन विनिर्दिष्ट न हो तो पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के मूल्यांकन के दो तत्व होंगे :–

(अ) सेमेस्टर परीक्षा अथवा वार्षिक परीक्षा के माध्यम से

(ब) पाठ्यक्रम के शिक्षकों द्वारा नियमित मूल्यांकन।